राजस्थान विधान सभा

५ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक—२५ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८—३७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३७

किशनगढ़ सब डिवीजन में वन विभाग के रखत में घास के ठेकों की नीलामी

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में वन विभाग के कुल कितने रखत हैं ?

(ख) उक्त रखत में कहां कहां घास के ठेके नीलाम किये जाते हैं ?

(ग) ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां निश्चित दर पर मवेशी चराई पर छोड़े जाते हैं?

(घ) उक्त दो प्रकार की नीति किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में निम्नलिखित रखत हैं :

१. तीखल्या	९. डीडवाडा	१७. बांदर सींदरी
२. सरगांव	१०. बरना	१८. माला
३. मापालाव	११. सिरोंज	१९. डागडा
४. डांग	१२. नौलखा	२०. मियांवाली
५. गुदरनिया	१३. जोधावाला	२१. लांवा
६. गोटियाना	१५. ढलूक	२२ मुंडोलाव
७. त्योंद	१५. नराना	२३. झोल
८. थल	१६. सालरमाला	२४. काबरा

Page No.2

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ख) काबरा बीड़ के अलावा सब स्थानों पर।

(ग) काबरा बीड और खेले जंगल में।

(घ) मवेशियों को चराई के लिए जैसी आवश्यकता प्रतीत होती है वैसा ही कर लिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीजन में जो रखत बताये गये हैं वह बहुत छोटे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—छोटे और बड़े सभी तरह के होंगे। एरिया तो आपने पूछा नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन रखत में अधिकतर मवेशी चराये जाते हैं, घास नहीं काटी जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—घास की जब ज्यादा जरूरत होती है तब काटी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि उनमें अधिकतर मवेशी चराये जाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब जरूरत होती है ज्यादा मवेशी चराने की तो ज्यादा मवेशी घास की बीड में चराने के लिए छोड़ दिये जाते हैं और जब ज्यादा जरूरत होती है घास काटने की तब घास ज्यादा काटी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में अधिकतर रखत में मवेशी चराये गये हैं और घास की कटाई नहीं हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—घास की ज्यादा जरूरत होने से ऐसा होता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा जवाब नहीं मिल रहा है। जरूरत का सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि मवेशी ज्यादा चराये गये हैं, क्या यह सही है ? उसका जवाब मैं पूछ रहा हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पिछले पांच सालों की बात आप पूछते हैं तो जब घास की ज्यादा जरूरत पड़ी तो घास की ज्यादा कटाई हुई है। जब बारिश ज्यादा हुई तो घास काट लिया और जब बारिश ज्यादा नहीं हुई तो उस वजह से मवेशी ज्यादा चराये गये हैं। किसी एक साल के बारे में आप पूछते तो मैं स्पेसिफिक बताता। पांच साल का पूछना चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछें।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ठेका देने की प्रथा होने से मिडलमैन प्रोफिट होता है और आस पास के गांव वालों के ऊपर उसका बोझ पड़ता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा सही नहीं है। ठेका नहीं देने से सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार के बोझे की बात नहीं है। मैं यह पूछता हूं कि क्या यह सही है कि ठेका देने की वजह से मिडलमैन प्रोफिट बटाता है और स्थानीय रहने वालों पर अधिक बोझा पड़ता है?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—ऐसा नहीं है क्योंकि मवेशी चराने के लिए मौजूद जगह है, वहां चराते हैं; पर अगर लोग घास इकट्ठा करके रखना चाहें तो इससे तो सरकार ठेका देकर आमदनी करना जरूरी समझती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस मामले में फिर से यह सोचेगी कि वहां के अधिकांश रखत चराई के काम आते हैं तो उन्हें सरकार निश्चित दर मुकर्रर करके दे दे?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जो रखत जहां चराई की जरूरत होती है वहां अपने आप आवश्यकता के अनुसार सरकार चराई के लिए छोड़ देती है और अगर घास काफी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर कटवाती है और रखत को नीलाम करती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ठेका देने की प्रथा से सरकार के हाथ में अधिकार रहता है और ठेके बहुत दिनों तक मन्जूर नहीं होते; इससे लोग बड़े परेशान होते हैं?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—कई दफे ऐसा हो जाता है, पर अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कम रकम का ठेका वहीं से मन्जूर हो जावे और ज्यादा रकम का हो तो उपर जावे।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इन रखतों के बारे में जो कभी घास कटाने के काम में नहीं आये एक निश्चित दर मुकर्रर करने के बारे में विचार करेगी?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इसमें पहले से जो निश्चित दरें हैं वे ही चली आ रही हैं। अब अगर इसके बारे में आप बात करके कोई मुनासिब केस हमारे सामने रखेंगे तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ३८

जनवरी १९५५ के पश्चात शरणार्थियों को दिये गये ऋण-विशेषतया किशनगढ़ सब डिवीजन में

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्संस्थापन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.4

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी १९५५ के बाद पुनर्संस्थापन विभाग द्वारा कितने शरणार्थियों को कुल कितने रुपये कर्जे के रूप में दिये गए ?

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन व्यक्तियों को उक्त कार्यालय में कर्ज दिया गया ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन के कर्जे के कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मन्त्री)—(क) २५७ विस्थापितों को ७,७८,२०४)।

(ख) एक व्यक्ति श्री छबीलदास को।

(ग) आठ।

श्री चांदमल मेहता—यह शरणार्थियों को कर्जा किस आधार पर दिया जाता है और किन किन कामों के लिए दिया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य को याद होगा कि यह प्रश्न आप पहले पूछ चुके हैं आधार वाला। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए दुबारा कह देना चाहता हूँ कि शरणार्थियों को उनका धन्धा-रोजगार करने के लिये ये कर्जे दिये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो मामले किशनगढ़ के पेन्डिग में हैं वे कितने समय से पेन्डिग में हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कितने समय से पेन्डिग हैं !

श्री चांदमल मेहता—जी हां।

श्री अमृतलाल यादव—मुझे ठीक तारीख तो याद नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई रिमाइन्डर देने के बाद भी किशनगढ़ के मामलों को फैसल नहीं किया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, यह सही नहीं है।

किशनगढ़ के लिए कोई खास बात है क्या ?

प्रश्न संख्या ३६

कस्टम विभाग से हटाये गये कर्मचारियों की अन्य राजकीय विभागों में नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्टम ड्यूटी के हटाने के परिणाम स्वरूप उक्त विभाग के कितने कर्मचारी रिटायर किये गये और कितने कर्मचारी नौकरी से अलग किये गये ?

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी थे जिन्हें कस्टम विभाग के टूटने के बाद सरकार के अन्य विभागों में काम देने के आदेश दिये गये ?

(ग) ३१ सितम्बर, १९५५ तक कितने कर्मचारियों को अन्य महकमों में काम पर लगाया गया और कितने कर्मचारी सरप्लस रहे ?

श्री अमृतलाल यादव—कस्टम ड्युटी हटाने के परिणाम स्वरूप उक्त विभाग के कर्मचारी जो रिटायर किये गए उनकी संख्या व विवरण निम्न प्रकार है :

१.	ऐसे कर्मचारी जो लगातार ३० वर्ष की राज्य सेवा कर चुके थे	६६
२.	ऐसे कर्मचारी जो २५ वर्ष की स्थायी राज्य सेवा कर चुके थे और जिनकी आयु ५० वर्ष से अधिक हो चुकी थी	१७४
३.	ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु ५५ वर्ष हो गई थी	४
४.	ऐसे कर्मचारी जो स्वयं की इच्छा से रिटायर हुये	२०६
	कुल रिटायर हुये	४५०

ऐसे कर्मचारी जो नौकरी से अलग किये गये उनकी संख्या ५०४ है और ये लोग सब अस्थायी थे।

(ख) ऐसे २११७ कर्मचारी थे जिन्हें कस्टम विभाग के टूटने के बाद सरकार ने अन्य विभागों में काम देने के आदेश दिये।

(ग) ३१ सितम्बर, १९५५ तक १७६३ कर्मचारियों को अन्य महकमों में काम पर लगाया गया और ३२४ कर्मचारी सरप्लस के शेष रहे, परन्तु यह ३२४ कर्मचारी कस्टम विभाग के बचे

[श्री अमृतलाल यादव]

हुए काम की सफाई के लिए उक्त विभाग में ही कुछ समय तक के लिये लगाये गये हैं, और क्रमशः इनमें से भी अन्य विभागों में खपाये जा रहे हैं। वास्तविक सरप्लस इस समय एक भी कर्मचारी नहीं है। (हियर हियर)

कस्टम टूटने के बाद सरप्लस कर्मचारियों को मई मास में राजस्थान राज्य सेवा नियमों की धारा २२४ के अन्तर्गत नोटिस दिये गए, जिनकी अवधि ३१ जुलाई, १९५५ तक थी। इस कारण ऐसे तमाम सरप्लस कर्मचारियों को जो ३१ जुलाई, १९५५ तक किसी अन्य महकमे में नहीं खपाये जा सके इस तिथि तक की अर्थात् ३१–७–५५ तक तनखाह दी जा चुकी है और जो इससे पहले ही दूसरे महकमों में खपा दिए गए उन्हें खपाने की तिथि के बाद उस नए महकमें से वेतन मिलना शुरू हो गया। कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जो अगस्त व सितम्बर के महीनों में अन्य विभागों में खपाए गए ४५२। उन्हें ३१ जुलाई के बाद से अन्य महकमें में खपाए जाने की तिथि तक का वेतन दे देने का निर्णय अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कर लिया है, और इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

३० सितम्बर तक तनखाहों पर रुपया ४,७८,०४५) खर्च हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—जो ३२४ व्यक्ति कस्टम डिपार्टमेंट के काम के लिए रक्खे गए हैं, तो क्या यह विभाग अब भी चालू है ?

श्री अमृतलाल यादव—चालू तो है ही।

श्री चांदमल मेहता—उनको किस विभाग से इस वक्त तनखा मिल रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—उनको वाइंड अप करने के लिए डिपार्टमेंट में रक्खा गया है उस विभाग के बजट से यानि एक्साइज़ एण्ड टेक्सेशन के विभाग से उनको तनख्वाह दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों में से ऐसे भी व्यक्ति मौजूद हैं कि जिनसे काम नहीं लिया जा रहा है और न उनको अन्य योग्य जगह रख कर काम ही लिया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह गलत है, बिल्कुल गलत।

श्री भैंरूसिंह (१६)—जिनको एक्साइज़ से तनख्वाह मिलती है उनको वहां से तनखा दिलाने के आॅर्डर सरकार ने किये या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—तनख्वाह मिलती है। मैं सदस्य का प्रश्न समझा नहीं। उनको आॅर्डर की जरूरत क्या है ? तनख्वाह मिलती है।

श्री भैंरूसिंह—जब कस्टम विभाग तोड़ दिया गया तो उसके आदमियों को दुबारा एक्साइज़ के बजट से तनख्वाह दिलाने के लिए सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—कस्टम विभाग ऐबोलिश हो गया तो अब पृथक राजस्व के नाम से टेक्सेशन और एक्साइज़ इस एक ही डिपार्टमेंट में आ जाते हैं ।

श्री भैंरूसिंह—मैं यह नहीं पूछता, मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि जब एक विभाग बन्द कर दिया गया और दूसरे विभाग से तनखा उनको दिलाई जा रही है तो इसके लिए सरकार ने कोई नये आदेश जारी किये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वाइन्डिग अप डिपार्टमेंट बताया न ?

श्री अमृतलाल यादव—डिपार्टमेन्ट के वाइन्डिंग में आदेश की आवश्यकता नहीं ।

श्री भैंरूसिंह—वाइन्डिंग अप नाम का कोई डिपार्टमेन्ट है ही नहीं ।

श्री अमृतलाल यादव—जब कोई डिपार्टमेन्ट नहीं होता है और उसे वाइन्डिंग अप किया जाता है और इसके लिए जितने कर्मचारी रक्खे हैं उन्हें उस विभाग से तनखा दिलाने का ऑर्डर हो ही गया है कि उनको तनख्वाह दी जावे इस काम को खत्म करने के लिए दी जाती है, आदेश की आवश्यकता नहीं ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इन ३२४ में से आधे से ज्यादा को आज तक तनखा नहीं मिली है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इनमें से आधे से ज्यादा कर्मचारियों को पटवारी की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—पटवारी की ट्रेनिंग उनको ही क्या, काफी और लोगों को इसमें एब्जोर्ब किया गया । अब भी ट्रेनिंग में हैं वे ।

श्री भैंरूसिंह—जिस वक्त इनको सरप्लस डिक्लेयर किया और ट्रेनिंग में भेजा उस वक्त उनको तनखा नहीं दी गई क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री अमृतलाल यादव—जब मैं यह जवाब दे रहा हूँ कि उनको तनखा दी गई तो फिर नहीं दी गई इस कहने का क्या मतलब ? दस दिन, पन्द्रह दिन की देर अबेर हो सकती है । लेकिन अब मैंने आपको फाइनली कह दिया है कि उनको तनखा दी जा चुकी है ।

Page No.8

श्री भैंरूसिंह—ट्रेनिंग लेते रहे उस वक्त ढाई महीने तक उनको तनखा नहीं मिली, क्या यह वाकया सही है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह बात सही नहीं है कि उक्त पटवारियों की ट्रेनिंग में गये व्यक्तियों ने कमिश्नर और राजस्व मंत्री से शिकायत की थी कि हमें तनखा नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०

सम्वत् २००८ में वर्षा न होने से बीड़ों के ठेके मन्सूख होना एवं निःशुल्क मवेशी चराई की आज्ञा-विशेषतया किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि २००८ के सम्वत् में वारिश न होने की वजह से जयपुर जिले में कुछ तहसीलों में बीडों के ठेके मन्सूख करने और निःशुल्क मवेशी चराने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो उक्त आज्ञा किशनगढ़ सब डिविजन पर भी लागू होती है या नहीं ?

(ग) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत किन किन बीड़ों के ठेके मन्सूख किये गये और निःशुल्क मवेशी चराई पर छोड़े गए ?

(घ) किशनगढ़ तहसील के किन किन बीड़ों के ठेके मन्सूख नहीं किए गए ?

(ङ) उक्त ठेकों के मन्सूख न होने के क्या कारण हैं ?

(च) ऐसे कौन कौन ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेके की वसूल की गई चौथाई रकम वापिस लौटाने के लिए लीगल नोटिस सरकार को दिये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

Page No.9

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) इस आज्ञा के अनुसार केवल उन्हीं बीड़ों के ठेके रद्द किए गए जिनमें सरकार घास एकत्रित कराना चाहती थी और जिन जिन बीड़ों का कब्जा ठेकेदारों को दिया जा चुका था और जिनमें से सरकार को घास इकट्ठा नहीं कराना था उन बीड़ों के ठेके मन्सूख नहीं किये गये।

(घ) किशनगढ़ तहसील के किसी भी बीड़ का ठेका रद्द नहीं किया गया।

(ङ) इसका कारण यह है कि वन विभाग द्वारा घास एकत्रित कराने का कोई प्रबन्ध किशनगढ़ तहसील में नहीं किया गया था।

(च) श्री श्यामलाल आत्मज, श्री भागीरथ ठेकेदार डीडवाडा बीड ने अपने ठेके को चौथाई रकम वापिस करने के लिए लीगल नोटिस दिया है।

श्री चांदमल मेहता—जो आज्ञा ठेका मन्सूख करने की दी गई उसमें क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वहां घास कटाया जावेगा और जहां घास नहीं कटाया जावेगा वहां ठेका मन्सूख नहीं किया जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां सरकार को घास कटाने की व्यवस्था करनी थी वहां कर दी गई थी और जहां घास कटाने की व्यवस्था की गई थी वहां के ठेके रद्द किये गये थे। यहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके दूसरी जगह से घास इकट्ठा कर रहे थे वहां ठेका रद्द नहीं किया गया।

श्री चांदमल मेहता—मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला; माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न यह है कि जो आज्ञा ठेके मन्सूख करने के सम्बन्ध में निकाली गई क्या उसमें इस तरह का हवाला दर्ज है कि जहां सरकार घास कटावेगी वहां ठेके मन्सूख समझे जावेंगे, दूसरे नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां सरकार को जरूरत होगी वहां तो ठेका मंसूख किया जावेगा। जहां ठेकेदार को कब्जा दिया जा चुका था वहां ठेके रद्द करने में लीगल इम्प्लीकेशन्स अराइज़ होते थे इसलिए वहां तो ठेके मन्सूख नहीं किये गये पर जहां ठेके की मन्जूरियां नहीं दी गई वहां रद्द करना मुनासिब समझा।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का जवाब फिर भी नहीं मिला। जो आज्ञा ठेके मंसूख करने के सम्बन्ध में जारी की गई, क्या उसमें इस तरह का हवाला है कि वही ठेके मंसूख किये जावेंगे जहां कि सरकार को घास कटाना आवश्यक होगा; मैं सिर्फ इस बात का जवाब चाहता हूँ। सरकार की नीति के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहता। सरकार ने क्या आज्ञा दी, इस आज्ञा के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आज्ञा तो यहीं थी कि जहां सरकार घास कटाना चाहती है वहां के ठेके मंसूख कर दिये जावेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो आज्ञा जारी की गई उसमें इस बात की चर्चा नहीं है बल्कि उसमें यह कहा गया है कि वर्षा नहीं होने की वजह से इस वर्ष के सभी ठेके मंसूख किये जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें जहां ठेकेदारों को कब्जा दिया जा चुका था और ठेकेदारों ने जहां बीड पर कब्जा पा लिया वहां घास की व्यवस्था हो नहीं की गई, तो फिर ठेके मन्सूख करने का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री चांदमल मेहता—मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ आज्ञा के बारे में पूछ रहा हूँ और जवाब और दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ आशा मेरे सवाल का जवाब देने के बारे में माननीय मन्त्री महोदय को देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं समझ पाया हूँ आप यह पूछना चाहते हैं कि जो आज्ञा दी गई थी उसमें इस प्रकार का कोई बात नहीं थी तो इस प्रकार के ठेके क्यों रद्द किये गये ? जो आज्ञा दी गई उसमें यह था कि जो ठेके हैं वे रद्द कर दिये जावेंगे और उसमें जहां ठेकेदार को कब्जा मिल चुका है और ठेके भी मन्जूर हो चुके थे और उनको सरकार की स्वीकृति कम्यूनिकेट हो चुकी थी उन ठेकों को रद्द करने के बारे में उस आज्ञा में कोई जिक्र नहीं था। इसलिए जहां लीगल कम्प्लीकेशन्स अराइज होने की वजह से ठेके को रद्द करना सम्भव नहीं था वहां उनके ठेके की मन्जूरी को रद्द नहीं किया गया इन्डिविजुअल केसेज़ को लेकर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री चांदमल मेहता—मुझे और सप्लीमेन्टरी करना है।

क्या यह सही है कि जिन बीडों का ठेका मंसूख किया गया और जिन लोगों ने इस संबंध में लीगल नोटिस दिये हैं उस सम्बन्ध में सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने यह राय दी है कि जिन ठेकों में आज्ञा दी गई है उसमें ठेके मन्सूख हों ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ४१

जनवरी १९५५ के पश्चात सहकारी विभाग में इन्सपेक्टर्स को कार्य-वाहक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाने के आधार इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रथम राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद को-ऑपरेटिव विभाग के किन किन इन्सपेक्टर्स को प्रोमोशन दिया जाकर आफिशियेटिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया गया ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त इन्सपेक्टर्स का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

(ग) उक्त इन्सपेक्टर्स में किन किन को सर्विस शीट में बैड एन्ट्रीज़ लगी हुई हैं ?

(घ) १ जनवरी, १९५५ के बाद ऐसे कितने इन्सपेक्टर्स हैं जो आफिशियेटिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार के स्थान पर काम कर रहे थे किन्तु जिन्हें वापिस रिवर्ट कर इन्सपेक्टर बना दिया गया ?

(ङ) उक्त इन्सपेक्टर्स का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मंत्री)—(क) सर्व श्री गोपीचंद काला और रूपचंद लुहाडिया १।१।५५ के बाद आफिशियेटिंग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं।

(ख) इनका स्थान इन्सपेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट में सात व आठ पर है।

(ग) सिर्फ श्री गोपीचंद काला की सर्विस बुक में एक वार्निंग दर्ज है।

(घ) एक श्री श्यामसुंदर भार्गव।

(ङ) श्री भार्गव का नाम सीनियोरिटी लिस्ट में संख्या ५ पर है।

श्री चांदमल मेहता—नंबर ५ वाले व्यक्ति को रिवर्ट करके नम्बर सात और ८ वाले व्यक्तियों को आफिशियेटिंग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार मुकर्रर किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी, श्री श्यामसुन्दर भार्गव को रिवर्ट करने की बात है इसमें।

श्री श्यामसुन्दर भार्गव का काम सन्तोषजनक नहीं होने से और दूसरी चीजें होने की वजह से उनको रिवर्ट किया गया है ?

श्री चांदमल मेहता—दूसरी चीजें क्या हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—दूसरी चीज है काम संतोषजनक नहीं होने के बारे में कभी कभी उनको वार्निंग भी दी गई, पर उन्होंने उस वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। भूलें की गई और सब चीजों को उनके बाद में भी देखा तो कोई फर्क नहीं पाने से रिवर्ट कर दिया गया।

श्री मोतीराम—क्या उनकी सर्विस बुक में भी यह एन्ट्री है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

Page No.12

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनकी सर्विस बुक में बैड रिमार्क्स नहीं हैं, अच्छे रिमार्क्स हैं ।

श्री अमृतलाल यादव—यह माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—धन्यवाद की बात नहीं है, मैं आपका जवाब चाहता हूँ। सूचना दे नहीं रहा हूं, सूचना लेने की जरूरत है कि क्या यह सही है कि उनकी सर्विस बुक में बैड एन्ट्री नहीं है बल्कि गुड् एन्ट्री लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष—आपने देखा है क्या ?

श्री चांदमल मेहता—मैं तो पूछ रहा हूँ, मन्त्रीजी कह रहे हैं कि बैड एन्ट्री है ।

श्री अमृतलाल यादव—जी, ऐसा नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि श्री श्यामसुन्दर भार्गव के लिए पी. एस. सी. को लिखा गया था कि उनको इस पोस्ट से रिवर्ट कर दिया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—जी, हो सकता है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इन दो को, सात व आठ नम्बर को जो प्रोमोशन मिला है उसके बारे में पी. एस. सी. को लिखा गया है कि उनको कन्फर्म कर दिया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—ये अभी ओफिशियेटिंग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पी. एस. सी. ने जिन क्वालिफिकेशन्स के व्यक्तियों की एप्लीकेशन्स इस पोस्ट के लिये इन्वाइट की थीं वे क्वालिफिकेशन्स इन दो व्यक्तियों को नहीं हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—इन दोनों व्यक्तियों की क्वालिफिकेशन्स मैं अर्ज कर देता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, मुझे इनकी क्वालिफिकेशन्स नहीं चाहिये । मुझे तो यह चाहिये कि सरकार ने जिन क्वालिफिकेशन्स के नाम पर विज्ञापन किया या करने के लिये पी. एस. सी. को लिखा था वे क्वालिफिकेशन्स उनमें मौजूद हैं या नहीं; बस इतना ही मुझे चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव—जिनको आफिशियेटिंग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया उनमें वे क्वालिफिकेशन्स हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे क्वालिफिकेशन्स हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, उनमें हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इनके बैड रिमार्क्स होते हुये आफिशियेटिंग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करने के कारण बता दीजिये ? इनकी सर्विस बुक में बैड रिमार्क्स हैं।

श्री अमृतलाल यादव—खाली वार्निंग देना ही ऐसी बात नहीं होती कि किसी अफसर को प्रोमोशन नहीं मिले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फिर काम कर रहा था उसको रिवर्ट करने की क्या आवश्यता हो गई, बैड एन्ट्री होते हुए भी रिवर्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। उनका अच्छा काम नहीं था इसलिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—फिर सर्विस बुक में नोट लगाने की क्यों आवश्यकता महसूस होती है जबकि उसकी कोई परवाह किये बिना ही प्रोमोशन दे दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—Order ! (घंटी)

श्री किशनलाल शाह—यह वार्निंग जो इनको दी गई, क्या वह किसी करप्शन की वजह से दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव—यह आप अलग से सवाल करते तो बताता।

श्री भैरुंसिंह (१६)—नम्बर सात व आठ को प्रोमोशन दिया गया, पर उनसे पहले वाले नम्बर १ से ६ पर जो थे उनको सुपरसीड करके इन्हीं को प्रोमोशन देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री अमृतलाल यादव—क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन्स नहीं थीं और इसके अलावा जो अपोइन्टमेंट किये जाते हैं उनमें खाली सीनियोरिटी को ही नहीं देखा जाता; इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनको देखा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पी. एस. सी. ने यह फैसला किया था कि प्रथम दस व्यक्तियों को सीनियोरिटी के आधार पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि खाली सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन नहीं मिलता।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैंने यह पूछा है कि क्या पी. एस. सी. ने यह फैसला किया था कि सीनियोरिटी लिस्ट में जो प्रथम दस व्यक्ति दर्ज हैं उनको सीनियोरिटी के आधार पर आगे प्रोमोशन का मौका दिया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—पी. एस. सी. ने सीनियोरिटी को फिक्स किया था, पर इससे हमें कमीशन ने बाध्य नहीं किया कि हम दूसरों का प्रोमोशन नहीं करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सीनियोरिटी लिस्ट बनाते वक्त उनकी योग्यता, लैन्थ ऑफ सर्विस एवं अन्य सारी बातें पी. एस. सी. ने देखकर ही यह फैसला किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो आप पी. एस. सी. पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर सीनियोरिटी का क्या उपयोग है ?

श्री अध्यक्ष—जो उपयोग है वह सामने आ रहा है।

(अट्टहास)

Next, Shri Chand mal Mehta

प्रश्न संख्या ४२

जनवरी १९५५ के पश्चात् सहकारी विभाग में सहायक इन्सपेक्टर्स को कार्यवाहक इन्सपेक्टर बनाने के आधार इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (क) १ जनवरी, १९५५ के बाद सहकारी विभाग के किन किन डिप्टी इन्सपेक्टर्स को प्रोमोशन दिया जाकर ओफिशियेटिंग इन्सपेक्टर्स बनाया गया है ?

(ख) उक्त डिप्टी इन्सपेक्टर्स का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

(ग) ऐसे कौन कौन डिप्टी इन्सपेक्टर्स हैं जो अधिक सीनियर होते हुए भी कार्यवाहक इन्सपेक्टर नहीं बनाये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मन्त्री)—(क) सहकारी विभाग में डिप्टी इन्सपेक्टर के नाम से कोई कर्मचारी नहीं है।

(ख) एवं (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स के नाम से कोई पोस्ट है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—असिस्टेन्ड इन्सपेक्टर्स में से किन किन को प्रोमोशन दिया जाकर डिप्टी इन्सपेक्टर्स बनाया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग से सवाल है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Chandmal Mehta. It is a questin of terms

(विराम)

Shri Mehta

प्रश्न संख्या ४३

विक्रय कर विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रेल, १६५५ के बाद सेल्स टैक्स डिपार्टमेण्ट में कुल कितने नये कर्मचारियों की नियुक्तियां किस किस ग्रेड में किस आधार पर की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष इसकी सूचना अब तक नहीं आई है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को अगली टर्न पर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ४४

विक्रय कर विभाग में निरीक्षक एवं उनके हैड क्वार्टर्स इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में इन्सपेक्टर्स की कितनी संख्या है ?

Page No.16

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त इन्सपेक्टर्स के हैड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं ?

(ग) इंस्पेक्टर्स के जिम्मे क्या क्या काम हैं ?

(घ) किन२ इन्सपेक्टर्स द्वारा सेल्स टैक्स की चोरी के कितने कितने मामले पकड़े गये हैं ?

(ङ) उक्त मामलों में कितने फैसले हो चुके हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—

१. सेल्स टैक्स विभाग में कुल ३५ इन्सपेक्र्स की संख्या है।

२. उक्त इन्सपेक्र्स के हैड क्वार्टर्स निम्न प्रकार हैं :

क्रम संख्या	नाम इन्सपेक्टर	हैड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन
१.	श्री हरवंस तलवार	जयपुर
२.	श्री धन्नालाल	जयपुर
३.	श्री गुलाबचन्द	जयपुर
४.	श्री बांके बिहारीलाल	जयपुर
५.	श्री रामनारायन	सवाई माधोपुर
६.	श्री एस. एम. रजाहुसेन	झुन्झुनू
७.	श्री सोमदत्त	अलवर
८.	श्री ओंकार सहाय	भरतपुर
९.	श्री गजाधर	सीकर
१०.	श्री पुष्करलाल	धौलपुर
११.	श्री मदनमोहन जोशी	जोधपुर
१२.	श्री नरपतसिंह	जोधपुर
१३.	श्री चांदमल	नागौर.
१४.	श्री भीमराज	पाली
१५.	श्री दुर्गालाल	सिरोही
१६.	श्री जेठमल	जेसलमेर
१७.	श्री मानसिंह	जालोर
१८.	श्री सुखलाल जैन	बाडमेर
१९.	श्री शंकरनाथसिंह	सेन्ट्रल सरकल, उदयपु
२०.	श्री गौतमलाल मालोत	उदयपुर
२१.	श्री सोहनलाल कोठारी	उयपुर
२२.	श्री भगवतीलाल	डूंगरपुर

Page No.17

[श्री अमृतलाल यादव]

क्रम संख्या	नाम इन्स्पेक्टर	हैड क्वार्टर डिस्ट्रक्ट या सब डिवीज़न
२३,	श्री शिवकरन	भीलवाड़ा
२४.	श्री तखतसिंह	बांसवाड़ा
२५.	श्री नंदकिशोर	उदयपुर
२६.	श्री खुमानसिंह	चित्तौड़
२७.	श्री ईश्वरलाल	गंगानगर
२८.	श्री रामलाल	चूरू
२९,	श्री ब्रजराज	बीकानेर
३०.	श्री गुलाबसिंह	कोटा
३१.	श्री सुरेन्द्रसिंह	कोटा
३२.	श्री भारतनंदन	बूंदी
३३.	श्री राजनी गोकुलदास	टोंक
३४.	श्री देवीसिंह	झालावाड़

चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खाली रखी गई है।

(३) इन्सपेक्टर्स के कार्य का विवरण पत्र संख्या २ में दर्ज है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बूंदी के इन्सपेक्टर का नाम आपने क्या बताया था ? बैसालनंदन बताया था क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—कुल ६ मामले सेल्स टेक्स की चोरी के इन्सपेक्टरों द्वारा पकड़े गये, उनके नाम इस प्रकार हैं।

इन्सपेक्टर का नाम	जगह	मामलों की संख्या	रकम
१. श्री हरवंशलाल तलवार	जयपुर	२	६० रु०
२. श्री गुलाबचन्द	जयपुर	१	५०० रु०
३. श्री बांकेबिहारीलाल	जयपुर	१	२०० रु०
४. श्री शिवकरण	भीलवाड़ा	१	५१ रु०
५. श्री राजनी गोपालदास	टोंक	१	१०० रु०

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न के भाग (३) का जवाब नहीं मिला। मंत्री महोदय पढ़ते पढ़ते रूक गये।

Page No.18

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब मेरे पास अंग्रेजी में है। आप आज्ञा दें तो मैं अंग्रेजी में पढ दूं या फिर हिन्दी का तर्जुमा...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—order ! order !!

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस पर एतराज है।

श्री अध्यक्ष—पहले इन्हें पढ़ लेने दीजिये, फिर एतराज करिये।

श्री अमृतलाल यादव—(Reading)

"It may be made absolutely clear that the Inspector is in fact the point of the administration in the Sales Tax Office. He is to play an important role for the administration to function effectively- No doubt the duties of making assessments and thereby raising revenue are statutorily fastened on the Sales Tax Officer or Asstt. Sales Tax Officer, but the assistance rendered to them in the discharge of these duties by the Inspectors is invaluable, not only from the point of view of revenue but in the interest of justice and equity. It is the Inspector who is to prepare ground to enable the Sales Tax Officer to finalise assessments. If the foundation is weak or over strained, the stability of upper structure is endangered. Hence in the exercise of duties, the qualities of sense of proportion, of tact, integrity, and courteous behaviour are required to the utmost extent. The Inspector should in no case develop an attitude or superciliousness so far as the assessees ar concerned.

It would not be very much wrong to say that an Inspector is to act as a Public Relations Officer. He is to find out under the supervision of the Sales Tax Officer or Assistant Sales Tax Officer, new assessees and make enquiries about the extent of business of the existing onces. For this purpose it is necessaryf or an Inspector to keep himself in touch with local conditions of business and influential traders. This will enable him to assess by judicious and discrete enquiries, the nature, scope and existence of the potential assessees already on the list. In short, it is primariiy his duty to see that nobody in his area who is assessable is not properly assessed and those not so liable are not unnecessarily troubled and harassed."

संक्षेप में इन्सपेक्टर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वे हैं ऐसेसमेंट में सहयोग देने की और, कैसेज़ की जांच करने की और मौके पर देख भाल करने की और गवर्नमेंट की इन्कम को किसी किस्म का

[श्री अमृतलाल यादव]

नुकसान न हो, अनावश्यक रूप से करों की चोरी न हो; इस सम्बन्ध में जागरूक रहने आदि की, इस प्रकार की क्रमशः कई प्रकार की ड्यूटीज़ हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनको पूरा करने में बहुत कम इन्सपेक्टर्स ने हिस्सा लिया है।

श्री अमृतलाल यादव—बिल्कुल नहीं। ठीक तरह से हिस्सा लिया है।

श्री चौधरी मोतीलाल—क्या यह सही है कि नागौर जिले का इन्सपेक्टर चांदमल नागौर में न रह कर किशनगढ़ में रहता है?

श्री अमृतलाल यादव—यह जानकारी मुझे नहीं है, शायद आपको होगी।

श्री चांदमल मेहता—ये इन्सपेक्टर्स के हैड क्वार्टर्स किस आधार पर नियत किये गये हैं?

श्री अमृतलाल यादव—इन्सपेक्टर्स के काम की गुंजायश को देख कर तय किये हैं। एक इन्सपेक्टर के काम का एरिया देखते हुए कौनसा सेन्टर ठीक रहता है इस आधार पर सेन्टर्स नियत किये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी वहां पर सेल्स टेक्स इन्पेक्टर रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई?

श्री अमृतलाल यादव—किशनगढ़ कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा और कई कारणों से नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—सेल्स टेक्स की दृष्टि से आप उसे महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—इस बारे में जांच करनी पड़ेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अब तक मुकर्रर किये हुए सेन्टर्स के महत्व के बारे में जांच किये बिना ही मुकर्रर कर दिये गये?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं। जांच के बगैर मुकर्रर नहीं किये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जांच करते समय मंत्री जी किशनगढ़ को भूल गये थे?

Page No.20

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन्स के पोइन्ट ऑफ व्यू से तो किशनगढ़ को महत्वपूर्ण स्थान मानना चाहिये था।

(विराम)

अल्पकालीन सूचना प्रश्न, श्री विशम्भरनाथ जोशी।

अल्प-काल सूचना प्रश्नोत्तर

बांदीकुई–बसवा–राजगढ़ सड़क के मार्ग के विषय में पंचों द्वारा किये गये निर्णय

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क. क्या सरकार को बांदीकुई बसवा राजगढ़ सड़क के मार्ग (अलाइनमेंट) के विषय में एक लम्बे अर्से से चल रहे वाद विवाद के संबंध में पंचों (आर्बिट्रेटर्स) द्वारा किये हुये निर्णय की सूचना मिल चुकी है ?

ख. क्या यह सही है कि जनता की इच्छा के विपरीत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, रेलवे स्टेशन बसवा व मसजिद के पीछे होकर इस सड़क के बनाये जाने को अनुचित मानते हुए मध्यस्थों ने अपने फैसले में उस सड़क को कस्बा बस्ते के पास होकर ले जाये जाने की सिफारिश की है ?

ग. क्या सरकार मध्यस्थों के फैसले को बिना किसी शर्त के तथा बिना किसी हेर–फेर के मानने को तैयार है ?

घ. क्या सरकार ने मध्यस्थों के फैसले को अमल में लाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

ङ. मध्यस्थों के फैसले के अनुसार सड़क बनाये जाने संबंधी आदेश इन्जीनियर्स, अन्य स्थानीय कर्मचारियों तथा सम्बन्धित ठेकेदारों को कब तक दे दिये जावेंगे तथा सड़क–निर्माण–कार्य कब तक शुरू हो जावेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्त मंत्री)(क) जी हां।

(ख) हां, इस कस्बे के पास से होकर सड़क ले जाने की सिफारिश की है।

(ग) मध्यस्थों के फैसले के अनुसार होगा।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(घ) जी हां।

(ङ) शीघ्रातिशीघ्र।

(हंसी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Thank you.

श्री अध्यक्ष—The question and answer seem both to be collusive?

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराजसिंह वि० सं० १२१ ने दिनांक २१ नवम्बर, १९५५ से ३० नवम्बर, १९५५ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कपिलदेव अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर जन-लेखा समिति में हुए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नामजदगी का नया कार्यक्रम

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री कपिलदेव अग्रवाल के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा की जन-लेखा समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के हेतु निर्धारित कार्यक्रम विधान सभा सचिवालय ने परिपत्र संख्या ४५ दिनांक २१ नवम्बर, सन् १९५५ द्वारा माननीय सदस्यों की सेवा में प्रेषित किया था जिसके अनुसार दिनांक २८ नवम्बर, सन् १९५५ को सही नामजदगी की घोषणा सदन में की जाने वाली थी और उस ही दिन नामजदगी वापिस ली जानी थी। दिनांक २४ नवम्बर, सन् १९५५ को सदन के निश्चयानुसार दिनांक २८ नवम्बर को सदन की बैठक नहीं होगी।

Page No.22

[श्री अध्यक्ष]

अतः उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये संशोधित कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा।

१. नामजदगी के पर्चों को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि तथा समय	२५ नवम्बर, सन् १९५५ प्रातः ११ बजे तक
२. नामजदगी के पर्चों की जांच	२५ नवम्बर, सन् १९५५–दैनिक मिटिंग के तुरन्त पश्चात्।
३. सही नामजदगी की सदन में घोषणा	३० नवम्बर, १९५५
४. नामजदगी वापिस लेना	३० नवम्बर, सन् १९५५, सदन में घोषणा के पश्चात्।
५. चुनाव यदि आवश्यक हो	२ दिसम्बर, सन् १९५५ ८.३० बजे प्रातः से १२.३० बजे मध्यान्ह तक।

जैसा कि सचिवालय के परिपत्र संख्या ४५ दिनांक २१ नवम्बर, सन् १९५५ में उल्लिखित है, नामजदगी के पर्चे सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं और ये कार्यालय में आज ही ११ बजे प्रातः तक भर कर दिये जाने हैं।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५५,
(अग्रेतर खण्डशः विचार–विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Yes. Legislative business. Revenue Minister. Clause 81. Ready or shold be deferred ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—Ready, Sir. माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८१ जिस तरह से है मैं समझता हूँ कि इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये कि इसी प्रकार का दूसरा क्लॉज़ २९३ है। क्लॉज़ २९३ इस प्रकार है।

"All rates, costs, charges, fees, fines, penalties and other money payable to Government under this Act shall be recoverable as arrears of reveue."

तो जहां तक गवर्नमेंट ड्यूज़ का सम्बन्ध है इसका मतलब क्लॉज़ २९३ से कवर हो जाता है।

जहां तक कॉस्ट का सवाल है उसके लिये क्लॉज़ ७४ हाउस ने पास कर दिया है, क्लॉज़ ९७ इस प्रकार है :

Page No.23

[श्री दामोदरलाल व्यास]

"A revenue court or officer may give and apportion costs incurred in any case or proceeding arising under this Act in such manner and to such extent as may be deemed fit."

उसमें कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट होना जरूरी है। इस क्लॉज़ में यह दर्ज नहीं है कि Costs की आज्ञा की इजरा किस प्रकार हो, यानी How to get it executed.

इसी को अगर रहने दिया तो इसमें तक संशोधन करना आवश्यक है। आपकी आज्ञा हो तो इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट मैं पेश कर दूं जो Circulate होने पर तय किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—क्या जरूरत है..."In such manner and to such extent as may be deemed fit" That is all right. As the court may deem fit.

श्री दामोदरलाल व्यास—But the Court will not pass in every case that this will be executed as a money decree." An order under sub-section (1) awarding cost to a party other than the State Government shall be executed as if it were a decree for money passed by a revenue court."

श्री अध्यक्ष—That is a different matter. When we come to clause 81....

श्री दामोदरलाल व्यास—I will then delete Clause 81 and bring a consequential change in the......

श्री अध्यक्ष—That will be moved separately and it will be circulated.

श्री दामोदरलाल व्यास—We have already passed upto 84.

श्री अध्यक्ष—Unless the whole Bill is passed, the hon'ble Minister is entitled to move amendment in any clause. That will be moved and circulated separately. So 81 is desired to be deleted ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I may be permitted to bring instead an amendment to 74 or I may bring an amendment to 81.

श्री अध्यक्ष—Stick to one thing please. Both the things can be done, but I want a definite...

Page No.24

श्री दामोदरलाल व्यास—As a matter of fact I want to insert this clause either in 74 or 81.

श्री अध्यक्ष—It is the absolute discretion of the Hon'ble Minister, but then I want a definite thing whether Clause 81 should be retained or deleted ?

श्री दामोदरलाल व्यास—81 is not to be retained as it is. It is to be substituted by another Clause and I want your permission to move it.

श्री अध्यक्ष—Just now ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Bring it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, "Just now" से तो बड़ा अन्याय हो जायगा।....

श्री अध्यक्ष—Let me look into it. if it is innocent and there is no harm-I shall allow it. If it requires circulation, I will not allow. We proceed to clause 101. Clause 101, Shri Himmat Singh.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—I do not want to move it.

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरलाल शर्मा।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्लॉज १०१ में मेरे २ अमेंडमेंट्स हैं, एक सब क्लॉज (१) पर और दूसरा क्लॉज़ (२) पर, जो क्रमशः सीरियल नं० २१२ और २१३ पर हैं।

२१२ में : "The words 'after the cutting of the existing crop' may be inserted between the words 'at any time' and 'and any crop' occurring in line four of sub-clause (i).

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है सब क्लॉज़ (२) पर :

"The words 'may fix after the assessment of land revenue or rent" be substituted for the words 'having regard to the value of the land may fix,"

मेरी यह अर्ज है कि इसमें बेदखली करने के बारे में जहां तक स्टेन्डिंग क्रोप्स के रखने का सवाल है और वह उसे उठा ले, इसमें यह टाइम नहीं दिया गया कि क्रोप को कब तक उठा ले,

[श्री छीतरलाल शर्मा]

इसमें टाइम होना चाहिये। जब तक कोई टीक आने के लायक, टीक नहीं हो जाय तब तक मौका दिया जाय।

सेकिन्ड पैरा में जो वेल्युएशन का लफ्ज़ है तहसीलदार फाइन कर सकता है। इसके अलावा वह एसेस करे लैंड रेवेन्यु को, यह होना चाहिये।

यह मेरी रिक्वेस्ट है, इससे हरेक आदमी को इन्साफ भी मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिवेणी श्याम।

श्री त्रिवेणी श्याम—अध्यक्ष महोदय, जैसा यह क्लॉज़ है इसमें 'अगर' अमेंडमेंट किये जायं तो वे अमेंडमेंट्स इस क्लॉज से भी ज्यादा हो जायेंगे। इस क्लॉज़ में बहुत सी चीजों की कमी है, इसलिये मेरा अमेंडमेंट है कि इसको डिलीट करके एक नया क्लॉज़ रख दिया जाय। मौजूदा क्लॉज जो है वह इस तरह से है :

"(1) Any person who occupies land or continues to occupy lsnd without lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be dispossessed by the Tehsildar at any time; and any crop standing on such land and any building which such person may have constructed thereon, if not removed within such time as the Tehsildar may fix, shall be liable to be forfeited to the State Government."

दूसरा क्लॉज़ (2) Such trespasser shall be liable to pay, as penalty for such year, during the whole or part of which he has been in such occupation a sum not exceeding four times the revenue or rent assessed thereon, or, if such land has not been so assessed, such sum as the Tehsildar having regard to the value of the land may fix."

तो इसमें सबसे पहले तो यह बात जरूरी है कि अगर किसी ने उस तरह से ऑक्युपाई किया तो इन्क्वायरी होना जरूरी है; क्या उसके उजरात हैं, क्या उसके राइट्स हैं उनको सुनना जरूरी है। अगर उसके हकूक हैं तो उनको सुनाना जरूरी है। बगैर सुने ही तहसीलदार उसका फैसला मनमाने तरीके से कर दे यह तो ठीक नहीं होगा। उसको नोटिस दिये बगैर, उसको सुने बगैर कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। इसमें इन्क्वायरी के लिए कोई तरीका दिया हुआ नहीं है। जब तक उसके उजरात सुन कर फैसला न हो, इस तरह के अधिकार और अख्त्यारात तहसीलदार को दे देना वाजिब नहीं होगा और वह अपने अधिकारों को गलत तरीके से काम में ला सकता है। क्योंकि कोई भी सामान उठाने या हटाने का समय है वह भी उसके डिस्क्रीशन पर है। वह चाहे तो

[श्री त्रिवेणी श्याम]

समय दे और न चाहे तो समय न दे। इसलिये एक तहसीलदार जैसी ऑथरिटी को इतना अख्त्यार देना कोई वाजिब नहीं है। इसलिये मैंने अपना एमेंडमेंट रखा है और एमेंडमेंट में यह रखा है जिसको मैं पढ़ देता हूं कि ये पॉवर्स तहसीलदार को न होकर कलेक्टर को होने चाहिये और कलेक्टर ही यह काम करे तो वह ज्यादा संजीदगी से करेगा और काम ठीक हो सकता है और तहसीलदार से यह काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—This has been circulated to all ?

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—जी हां।

दूसरा यह कि जो भी काश्त की चीजें हैं, जमीन है, जो किसी वजह से काश्त के काम में नहीं आ सकती है उसमें डिमोलिशन का कोई प्रश्न नहीं रखा। इसलिये डिमोलिशन का प्रोविजन होना चाहिये।

तीसरा यह है कि इसमें ट्रेस्पासर के लिए सिर्फ चार गुना रेन्ट ही रखा है। अगर किसी ने ट्रेस्पास करके किसी की जमीन दबा ली तो उससे चार गुना रेन्ट लिया जावे, यह मैंने रखा है। दूसरा एविक्शन का तरीका कैसा होगा। अगर एविक्शन में कोई दिक्कत पेश आवेगी तो उसके लिये क्या किया जावेगा, यह सारा प्रोसीजर इसमें नहीं है कि कौन जावेगा, कौन डिमोलिशन करावेगा और झगड़ा हो गया या मुकाबला हुआ तो क्या होगा। इसमें कोई तरीका नहीं था। इसलिये मैंने एविक्शन या डिमोलिशन करने में किसी तरह की तकलीफ हो तो उसके लिये प्रोविजन बनाया है। उसके बाद जायदाद जमीन का क्या हो वह भी कुछ नहीं है। दूसरों को दे सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है। ऐसी सूरत में मौजूदा क्लॉज़ बिल्कुल सेल्फ सफीशिएन्ट नहीं है। अगर इन सब पर एमेंडमेंट लाये जावें तो ये एमेंडमेंट क्लॉज़ से भी ज्यादा हो जाते हैं इसलिये मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह बिल्कुल उचित है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए मेरे एमेन्डमेंट को अवश्य मंजूर करेंगे।

श्री भैंरूसिंह—(१६) माननीय अध्यक्ष, अभी क्लॉज़ १०१ के बारे में जो संशोधन पेश हुए हैं मैं समझता हूं कि इस क्लॉज की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इस क्लॉज़ में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको किसी जमीन पर अधिकार करने का हक नहीं हो और अधिकार कर ले तो उसको ट्रेस्पासर मान कर वापिस हटाने के बारे में क्या कार्यवाही की जावे? इसके लिए जो कार्यवाही की जावे उसके वर्डिंग्ज जो लिखे हैं वे हैं :

"Any person who occupies land or continues to occupy land without lawful authority."

[श्री भैरूसिंह]

यदि कोई व्यक्ति अनऑथोराइज्ड तरीके से किसी जमीन पर कब्जा कर ले या कब्जा बनाये रखे तो वह व्यक्ति ट्रेसपासर माना जावेगा। अब यह हमें यहां पर सोचना होगा कि इस कानून में लेंड की डेफिनिशन क्या है, जिस जमीन पर कब्जा करने पर हम उस व्यक्ति को ट्रेसपासर मानेंगे। अगर इसको शुरू से देखा जावे तो आपको कहीं पर इसकी डेफिकिशन नहीं मिलेगी। जमीन के बारे में कोई चीज नहीं है जिससे हम मान सकें कि इस प्रकार की जमीन पर कब्जा करने वाले को ट्रेसपासर माना जावेगा। लेन्ड की डेफिनेशन टीनेन्सी एक्ट में है। अगर हमें लेन्ड की डेफिनेशन देखनी होगी तो टीनेन्सी एक्ट में भूमि की डेफिनेशन देखनी होगी। उसकी डेफिनेशन टीनेन्सी एक्ट में दी गई है। उसकी डेफिनेशन और उसमें कोई अन्तर नहीं हमने ट्रेसपासर को टीनेन्सी एक्ट में भी निकालने और सजा देने का प्रोविजन किया है। अगर हम दोनों में अलग अलग प्रोविजन देंगे तो दोनों में आपस में कोन्फिलक्ट होगा। एक तो इसका प्रोविजन लेन्ड रेवेन्यू बिल में होगा और दूसरा टीनेन्सी एक्ट में। दोनों में अलग अलग सजा देने वाले होंगे और दोनों के अधिकार अलग-अलग होंगे। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है तो उसको नहीं हटाया जाना चाहिये। उसको जरूर हटाया जाना चाहिये। टीनेन्सी एक्ट में हमने इसकी जो डेफिनेशन दी है उसमें हमने लिखा है :

"Trespasser shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without athority or who prevents another person from occupying land duly let out to him."

तो अनओकुपाइड लेन्ड पर अनाधिकार रूप से चेष्टा करके कब्जा कर लेते हैं तो दलील यह हो सकती है कि टीनेन्सी एक्ट में टेस्पासर माना है उनको जो व्यक्ति काश्त करनेवाली जमीन पर कब्जा करते हैं। वहां हमने अन ओकुपाइड का शब्द जोड़ा है इसमें सब आ जाता है। इसमें लिखा है। "Unoccupied land shall mean land which is not occupied."

जिस जमीन पर कब्जा नहीं है, जो जमीन हमने काश्त के लिए दूसरों को दी नहीं हो; उस पर अधिकार करनेवाला टेस्पासर होगा। हमने यहां पर लेंड की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। टीनेन्सी एक्ट में हमने लेंड की डेफिनेशन रखी है। जहां पर इसकी डेफिनेशन नहीं है वहां पर हमें टीनेन्सी एक्ट की डेफिनेशन को मान कर चलना पड़ेगा। दोनों में अलग अलग टेस्पासर के तरीकों को अख्त्यार करना और उनको हटाने के लिए सजा आदि देना वाजिब नहीं होगा। टीनेन्सी एक्ट में उसको सजा देना और हटाने की व्यवस्था है। काश्त शुदा जमीन पर अगर वह कब्जा करता है तो उसको हटाने की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से उस पर पेनेल्टी इम्पोज़ की जावेगी, और सजा दी जावेगी, इसका तरीका भी दिया गया है। अगर आप लेंड रेवेन्यू बिल में कोई दूसरा नियम लागू करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर दो नियमों के अंतर्गत एक्शन लिया जावेगा। एक नियम कहता है कि ६ गुना

[श्री भैरूंसिंह]

लगाना फाइन के रूप में या जुर्माने के रूप में देना होगा जिस तरह से टीनेंसी एक्ट में दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ लेंड रेवेन्यू बिल में यह कहा जाता है कि यह चार गुना फाइन के रूप में देना होगा। इसी तरह से एक कानून यह कहेगा कि इस तरह से कार्य करने वाला ट्रेसपासर माना जावेगा और दूसरा यह कहेगा कि ट्रेसपासर इस तरह से होगा।

यह बात चक्कर की जरूर है कि हमने आबादी की डेफिनिशन के बारे में, जमीन जो काश्त की जाने वाली है या काश्त हुई जमीन है उसके विषय में प्रोविजन किया है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आबादी की जमीन है और वह उसमें कबर हो जाता है। अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए भी डेफिनिशन दी है और वह इसीलिए दी है; और भी काश्त की जमीन गांव में होती है, उस पर भी कब्जा करता है या वह अनऑक्यूपाइड जमीन है, पड़त है, पड़ी हुई है तो वह अनऑक्युपाइड ही होगी। उस एक्ट में सारी जमीन सम्मिलित की गई है, उसमें उसकी पूरी व्यवस्था है कि अनऑक्युपाइड लैंड हो, पाश्चर लैंड हो, फैलो लैंड हो और उन सबकी व्यवस्था उसमें की गई है। वे सब अनऑक्युपाइड लैंड की डेफिनिशन में आजाती है। वैसी सूरत में उस अनऑक्यूपाइड लैंड पर कब्जा करने वाला ट्रेसपासर की डेफिनिशन में आ जाता है और जब हमने ट्रेसपासर की डेफिनिशन बना दी है कि वह उस प्रकार को अनऑक्युपाइड जमीन से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उसमें उसकी व्यवस्था कर दी है तो भू-राजस्व बिल में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार की डेफिनिशन इस बिल में रखी जाती है तो एक कानून के द्वारा उसको हटना पड़ता है तो कहीं वह दूसरे कानून द्वारा संरक्षण न प्राप्त कर ले। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस क्लाज को यहां से हटा दें। अगर नहीं हटाते हैं तो लैंड की डेफिनिशन बनाने के बाद उसके बारे में जो टेनेन्सी एक्ट में डेफिनिशन है, ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड लैंड की, उसमें जो डेफिनिशन है उसको देखते हुए उसमें अगर इस प्रकार की बातें कवर नहीं होती हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था कर ली जाय, यह बात समझ में आ सकती है। मेरी समझ में तो यह बात आती है कि जब टिनेन्सी एक्ट में ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड लैंड की डेफिनिशन दी हुई है तो इस धारा को आवश्यकता नहीं रहती है और फिर भी अगर इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं तो यह देखना होगा की दोनों में किसी प्रकार का कान्फ्लिक्ट न हो और अगर कान्फ्लिक्ट होता है तो ट्रेसपासर को लाभ मिल सकेगा, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहिए। अतः मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इस क्लॉज़ को हटा दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मूल क्लॉज़ के विषय में दांतारामगढ़ से आये माननीय सदस्य ने कहा लगभग वही चीज़ संशोधन के विषय में भी लागू होती है और ज्यादा लागू होती है। उसके बारे में मैं एक दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें स्टेंडिंग क्रॉप को अगर वह "within reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose" को रिमूव नहीं करता है तो the crop also is liable to be forefitted-

Page No.29

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

टिनेन्सी Act में ट्रेस्पासर से चार गुना मुआवजा लिया जा सकता है। यह चीज़ मुकर्रर करते समय उसको बेदखल करने के बारे में, जमीन से कब्जा छुड़ाने के बारे में क्रॉप का भी ख्याल किया गया है और वह हार्वेस्टिंग टाइम से पहले हो या कुछ देर पहले हो, स्टेन्डिंग क्रॉप हो तो हारवेस्टिंग टाइम पर वह नहीं हो सकता और उसको बेचने से जो पैसा आयगा वह या तो अलग रख ले या फिर उसका एडजस्टमेंट हो जाय, इन सब की डिटेल्ड में व्यवस्था कर ली है। आज हम यह कहें कि रीज़नबल टाइम में क्रॉप हटा ले, बिल्डिंग के लिए तो फिर भी समझा जा सकता है लेकिन रीज़नबल टाइम में स्टेन्डिंग क्रॉप को हटा लें तो दुनिया में कहीं मुकर्रर नहीं हो सकता है। फिर तहसीलदार उसके लिए क्या करेगा, मोशन पर तहसीलदार को नहीं चल सकती है और न चलने दी जानी चाहिए। तो इस तरह से फॉरफीचर के बारे में कन्ट्राडिक्शन हो जाता है। चार गुना मुआवजा टिनेन्सी बिल में ट्रेस्पासर के लिए रखा है, फॉरफीचर का उसमें इस तरह से नहीं रखा है, उस साल की फसल भुगतान कर ले और चार गुना मुआवजा दे और यह माननीय अध्यक्ष मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस प्रकार की व्यवस्था की गई है यह कहीं नहीं किया है कि स्टेन्डिंग क्रॉप का फॉरफीचर कर ले और इसलिए चार गुना मुआवजा अन्याय पूर्ण नहीं होगा। अलग से ऐसा प्रोविजन करें कि एक तरफ फॉरफीचर का प्रोविजन करें और एक तरफ दूसरे एक्ट में चार गुना मुआवजे का प्रोविजन करें, दोनों का कान्ट्राडिक्टरी प्रोविजन हो जायगा। यह क्लीयर है कि बाकी चीज़ों को हटाने का तो प्रश्न आ सकता है, बिल्डिंग है तो उसको हटाने का प्रश्न आ सकता है, उसको कम्पेन्सेशन देकर हटाया जा सकता है। तो माननीय अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि यह पुराने पास किये गये कानून से मेल नहीं खाता है और कान्टाडिक्शन पैदा करता है इसलिए इस पूरी की पूरी धारा को और जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उनको हटा भी दें तो कोई किसी प्रकार की असुविधा पैदा नहीं होगी और टिनेन्सी बिल में जो इस सम्बन्ध में प्रोविजन है वही लागू हो जायगा। यही मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट श्री त्रिवेणीश्यामजी ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वह बहुत इन्नोसेंट अमेंडमेंट है, प्रोसिजर का तरीका है और उसमें बता दिया गया है कि क्या प्रोसिजर होगा। यह बात आवश्यक है कि किसी आदमी को यह एनकरेजमेन्ट नहीं मिलना चाहिए कि जिस लैंड पर उसका अधिकार नहीं है, बगैर ऑथोरिटी के या बगैर अलाटमेन्ट के जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उसको ओक्युपाई करे रहे। सदन ऐसा महसूस करेगा कि इस प्रकार का प्रोविजन कानून के अन्दर होना आवश्यक है कि गवर्नमेन्ट की लैंड चाहे वह आबादी में हो, रोड पर हो, उसको अनऑथोराइज तरीके से कोई ले ले, तो फिर उसको बेदखल करने का सरकार को अधिकार होना चाहिये और वह भी समेरी तरीके से और उसके लिए जल्दी से जल्दी इजेक्ट करने का प्रोसिजर होना चाहिए। सदन इस बात को महसूस करेगा कि जो ट्रेस्पासर कानून को हाथ में लेकर कब्जा जमीन पर लेता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करना भी आवश्यक है। जोधपुर से आने वाले मित्र को और दांतारामगढ़ से आने वाले

[श्री दामोदरलाल व्यास]

मित्र को एक गलतफहमी हो रही है कि टिनेन्सी बिल में जो ट्रेसपासर के लिए जो प्रोविजन किया गया है वह काफी है और इस प्रकार की लैंड इस रेवेन्यू बिल में भी कवर हो जाती है। वह गलत है। टिनेन्सी एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड को डील करता है। In tenancy Act the provision is only for agricultural land and it does not cover other lands e. g. Abadi land, land covered lanes and pathways act.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It relates to un occupies land अनऑक्यूपाइड लैंड का प्रोविजन ठीक है मगर वह एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है। टिनेन्सी एक्ट को देखेंगे कि इसमें that is nothing about other land, but purely agricultural land; कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पढ़ कर अभी अर्ज कर देता हूँ।

(विराम)

"Land shall mean land which is let or held for agricultural purposes or for purposes subservient thereof or as grove land or for pasturage, including land occupied by houses or enclosures situated on a holding, or land covered with water which may be used for the purpose of irrigation or growing Singhara or other similar produce but excluding Abadi land; it shall include benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth."

जैसा मैंने अर्ज किया माननीय अध्यक्ष, कि लेण्ड के सिलसिले में जहां तक टिनेन्सी एक्ट का ताल्लुक है वह एग्रीकल्चरल लेण्ड है। That is only concerned with the agricultural land as defined in the Tenancy Act. तो वह ट्रेसपासर किस तरह से इजेक्ट किया जावेगा, इसमें प्रोविजन कर दिया गया है "but for all lands other than agricultural lands" के लिये कोई कानून नहीं है इसलिये एक जनरल लेन्ड के लिये उसका प्रोविजन लैंड रेवेन्यू बिल में करना आवश्यक था और लैंड की डेफिनेशन इस बिल में देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। लेकिन एक अमेंडमेंट सिकराय से आये माननीय सदस्य ने पेश किया है क्लाज़ ११२ ए. एड करने के लिये। वह इसलिए एड करने के लिए पेश किया गया है कि लैंड रेवेन्यू बिल से संम्बंध रखने वाली जो लैंड है उसको डिफाइन कर दिया जाय वह एतराज के land की डेफिनेशन नहीं है। इस अमेंडमेंट से वह साफ हो जाय।

And land will be properly defined so far as this Land Revenue Bill is concerned.

श्री हरिकृष्ण व्यास—"(112A) Land shall also include........."

Page No.31

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Yes- इसके अलावा लेन्ड रेवेन्यू बिल में जो चेपटर लेन्ड का शुरू होता है उसमें to start with Chapter VI-"All roads etc. and all lands which are not the property of others belong to the State.—"

इसमें यह खयाल हो कि कौनसी लेन्ड होगी, other than agricultural land, इसको डिफाइन करने के लिये क्लॉज़ ११२ A इसीलिये रखा गई है । इसमें एक अमेन्डमेन्ट भी श्री त्रिवेणी श्यामजी द्वारा रखा हुआ है, that will difine precisely the land covered by this bill.

इस डेफीनेशन में यह दर्ज है कि "Land in general otherwise than agricultural land shall include the following things; etc etc."

जिस वक्त क्लॉज़ ११२ लेंगे, जिसमें लेन्ड की डेफीनेशन मुकम्मिल नहीं हुई है उसमें एक अमेन्डमेन्ट भी है, उस समय we can consider that. Our intention is to define land precisely in this Act and for that the amendment which I propose to accept, of course subject to the will of the House.

इसलिए यह जहां डेफीनेशन की कमी का सवाल पैदा होता है वहां इससे खामी पूर्ति हो जायगी जो कि ऑलरेडी हाउस के सामने है, जिसको पेश कर दिया गया है और जिसको स्वीकार करने के लिए मैं अर्ज कर चुका हूँ, उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। हम भी यह चाहते हैं कि जो भी कानून बने उसमें किसी प्रकार की खामी नहीं रहनी चाहिये। यह मैं भी मानता हूं कि लेन्ड को डिफाइन नहीं किया गया जो होना चाहिए। इसके लिए अमेन्डमेंट मौजूद है । अगर उसमें कोई खामी आपको महसूस हो तो आप भी सुझाव दीजिये, उसको मैं वेलकम करूंगा और सहर्ष स्वीकार करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ।

श्री छीतरलाल शर्मा—मेरे अमेंडमेंट का जवाब नहीं आया.....

श्री दामोदरलाल व्यास—That is covered by that new clause, Sir-

श्री अध्यक्ष—That is swept away-

श्री दामोदरलाल व्यास—That is Covered, Sir. आपने जो संशोधन रखा है उसका मतलब यह है कि अगर कोई ट्रेस्पासर किसी भी जमीन पर जबरदस्ती खेती कर लेता है तो उस हालत के अन्दर फसल काटने का मौका दिया जाय, मैं इस प्रकार के प्रोवीजन को रखना आवश्यक

[श्री दामोदरलाल व्यास]

नहीं समझता । अगर किसी चीज की काश्त हो गई तो तहसीलदार को उसकी जांच करनी होगी कि किन सरकमस्टांसेज में यह ऐसा हुआ, इसके लिए ऑलरेडी प्रोवीजन है :

"The Tehsildar shall give reasonable time within which the crop should be removed." All that depends on the conduct of the trespasser, in what way he behaves. Instead of a clear cut provision that the trespasser should de allowed to remove his crop. I think, that power should be given to the Tehsildar.

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष, जहां तक ट्रेसपासर का सवाल है वह तो इसमें मौजूद है । लेकिन जो मैंने संशोधन रखा है वह यह है कि जिस वक्त क्रॉप तैयार नहीं की गई हो, उसके लिये है ।

दूसरा मेरा अर्ज करना यह है कि वेल्युएशन के लिहाज से इस काम को देखने के लिये तहसीलदार को पॉवर दिये गये हैं, लेकिन जब तक लेन्ड रेवेन्यू असेस न हो तो वह वेल्युएशन हो नहीं सकता, इसलिये असेस करके उस आधार पर क्यों न बनाया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to seek one clarification, Sir. Is it the intention of the hon'ble member that this provision shall apply only to Abadi land and not to agricultural land ? Is it clearly understood ?

श्री अध्यक्ष—His interpretation will not help, only the legal interpretation will help.

श्री हरिकृष्ण व्यास—As far as clause 112A is concerned as it now stands, it not only includes agricultural land but some thing more. The point, therefore, is for agricultural land. How can we have two provisions running concurrently, simultaneously and at variance to each other. If you have one set for agricultural land and another for Abadi land, that could be understood. So I want to know whether it is the intention that these provisions are sought to be applied only to the non-agricultural land; then we can proceed, otherwise it will be considered duly and properly.

श्री दामोदरलाल व्यास—That we shall discuss when we come to that definition. There are so many kinds of lans which are included in the definition. When we come to that definition definitely we shall amend it.

श्री अध्यक्ष—For the present we are concerned with clause 101 and the definition of land which is covered by clause 112A, we will come to that later. If there is any ambiguity the law courts are there to interpret.

Page No.33

श्री दामोदरलाल व्यास—I do'nt want that. I request the hon'ble friends that they do give their suggestions and I am here always to welcome them.

श्री अध्यक्ष—But that is a question which will come up later. What should be the definition of 'land', that will come later on. The intentions will come out when we start considering clause 112.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When we come to that clause, how these discussions were held, might be forgotten.

श्री अध्यक्ष—We are just coming to that. Nothing is forgotten. We get everything in black and white.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री छीतरलाल शर्मा ने रखे हैं क्लॉज़ १०१ में स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १०१ पर श्री त्रिवेणीश्याम ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १०१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०२

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १०३, श्री हिम्मतसिंह (अटरू) ।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०३ के बाबत मेरा जो एक छोटा सा संशोधन है, उस ओर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । "पाश्चरलेण्ड" जो है उसका सम्बन्ध ज्यादातर पंचायतों से रखा गया और जहां पंचायतें नहीं हैं वहां भी पाश्चर लेन्ड मुकर्रर करने का अधिकार पंचायतों को दिया है । ऐसी सूरत में यह ठीक है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी किन्तु यह भी जरूरी है कि इनमें पंचायतों को भी इन्क्लूड किया जाय । इसीलिये मैंने अपना अमेंडमेंट रखा है । "Substitute the words in the last line 'by Panchayats according to' between the words 'by' and 'rules'."

(103) (1)............shall be regulated by Panchayats according to rules made by the state Goverment"

इतना सा छोटा अमेंडमेंट मैं इसके अन्दर एड करना चाहता हूं जिससे यह ज्यादा स्पष्ट हो जायगा, इससे ग्राम पंचायत और सरकार के बीच कोई उलझन पैदा नहीं होगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि वैसे जहां तक पंचायतों का संबंध है यह बात ठीक है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन या इन्तजाम पाश्चर लेन्ड का पंचायतों के सुपुर्द दे रखा है ।

"The right of grazing on pasturage land shall extend only to the cattle of the village or villages for which such land has been set apart and shall be regulated by rules made by the state Government."

परन्तु जहां रूल मेकिंग पॉवर्स का जिक्र है वह अधिकार गवर्नमेंट के पास रहना आवश्यक है । पंचायतों को यह पॉवर वेस्ट कर देने से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं । सिर्फ इन्तजाम करने की बात पंचायतों को ऑलरेडी पंचायत एक्ट में दी हुई है, और उसमें पंचायतों व सरकार में कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा । That concerns only to the rule making power और समय

Page No.35

[श्री दामोदरलाल व्यास]

समय पर रूल्स चेन्ज करने पड़ते हैं, केटल की तादाद बढ़ जाने की वजह से या और बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एमेन्डमेंट इस जगह उपयुक्त नहीं होगा, और जो बात माननीय सदस्य चाहते हैं वह इससे हल नहीं होने वाला है और दुश्वारियां और पैदा हो जायंगी। अलग अलग पंचायतें अलग अलग रूल्स बनाने लगीं, पाश्चर लेन्ड के बारे में तो आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगेगा। तो यह दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैंने एमेंडमेंट रूल मेकिंग पॉवर का नहीं दिया है। मेरा मतलब पंचायतों के द्वारा रेग्युलेट करें according to the rules made by the State Government; इस सम्बन्ध में है।

श्री दामोदरलाल व्यास—रेग्युलेट करने का है यदि वह तो there is already a provision in the Panchayat Act for the administration of the pasture land by the Panchayates and that is a specific law. So that will be governed by that and no amendment is necessary in this clause.

श्री अध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह से) क्यों साहब ?

श्री हिम्मतसिंह—I don't press.

श्री अध्यक्ष—नहीं तो विथ्ड्रा करिये।

श्री हिम्मतसिंह—I may be allowed to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the House.

(स्वीकृत)

Permission to withdraw the amendment has been given.

श्री हिम्मतसिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १०३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १०३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ १०४

(श्री भैंरूसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप बोलेंगे ?

श्री भैंरूसिंह (वि. सं. १६)—कोई एमेंडमेंट तो नहीं, लेकिन बोलना जरूरी है। यह क्लॉज़ जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष, खंड १०४ के अनुसार हमने एक व्यवस्था की है कि यदि सरकार चाहे किसी गांव या किसी स्टेट की जमीन पर फोरेस्ट ग्रोथ है उसका मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले, और इस कारण से ले कि उसको काटने से या फोरेस्ट ग्रोथ को नष्ट करने से यदि भूमि में किसी प्रकार का नुकसान होता हो, यदि डिफोरेस्टेशन की सम्भावना हमारे सामने आती हो और सरकार उस कारण से आवश्यक समझती है कि इस प्रकार की जमीन के ऊपर जितनी फारेस्ट ग्रोथ है उसका मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले और उस मैनेजमेंट को जिस वक्त सरकार अपने हाथ में ले उस समय यह आवश्यक होता है कि हम उस व्यक्ति को कोई कम्पेन्सेशन दें और उस वक्त यह आवश्यक होता है कि जो कुछ गवर्नमेंट इस प्रकार की जमीन के ऊपर फोरेस्ट के नाते कब्जा करने के नियम बनायें और उन नियमों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करे तो उल्लंघन करने के कारण उसको इस प्रकार की सजा दी जा सकती है। यह सारी व्यवस्था हमने इस धारा (खंड) १०४ में की है।

इस खण्ड १०४ को इस राजस्थान विधान सभा ने सन् १६५२ के फोरेस्ट एक्ट में पास किया है। इसलिए इसको फोरेस्ट एक्ट के साथ रखना पड़ेगा। फोरेस्ट एक्ट में किन २ चीजों पर, फोरेस्ट ग्रोथ पर, फोरेस्ट सरकारी जमीन पर हैं या जो सरकार की जमीन पर नहीं है, उस पर किस तरह से कब्जा करके उसके मैनेजमेंट का अधिकार उस कानून के द्वारा दिया हुआ है, तो उस कानून के साथ में हमें खंड १०४ को करना पड़ेगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, ६.५५ पर पदासीन)

माननीय चेयरमेन, यदि हम फोरेस्ट एक्ट को उठाकर देखें तो फोरेस्ट एक्ट में दो प्रकार की व्यवस्था है। फोरेस्ट रिज़र्व्ड, जिन्हें गवर्नमेंट रिजर्व्ड फोरेस्ट्स के नाम से पुकारा करती है उसकी व्यवस्था करने की आवश्यक विधि फोरेस्ट एक्ट में बताई है और जो गवर्नमेंट रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स नहीं हैं, जो दूसरों के कब्जे में हैं, जैसे एस्टेट शब्द से कुछ ऐसा मालूम होता है कि सरकार की शायद ऐसी मन्शा है कि जो जमीन सरकार की नहीं है, दूसरे किसी व्यक्ति की है, सरकार का उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं है, सरकार के कोई राइट्स नहीं है, इसके लिए सरकार यदि आवश्यक समझे कि फोरेस्ट ग्रोथ का मैनेजमेंट करने के लिए कोई नियम

[श्री भैंरूसिंह]

बना दिये जांय इसलिए कि डिफोरेस्टेशन जो वह हो रहा है, फौरेस्ट ग्रोथ का नुकसान करने का वह सारा का सारा काम बन्द हो जाय तो उस एक्ट के मातहत सरकार के कब्जे में जो जमीन नहीं है कब्जा कर सकती है। चेप्टर ५ में हमने लिखा है :

"35 Protection of forests for special purposes:—(1) The Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, regulate or prohibit in any forest or waste land:—

(a) the breaking up or clearing of land for cultivation;

(b) the pasturing of cattle; or

(c) the firing or clearing of the vegetation;

when such regulation or prohibition appears necessary for any of the following purposes:—

(i) for protection against storms, winds, rolling stones and floods;

(ii) for the preservation of the soil on the ridges and slopes and in the valleys of hilly tracts, the prevention of land-slips or of the formation of ravines and torrents or the protection of land against erosion or the deposit thereon of sand, stones or gravel;

(iii) for the maintenance of a water-supply in springs, rivers and tanks;

(iv) for the protection of roads, bridges, railways and other lines of communication;

(v) for the preservation of the public health.

(2) The Government may, for any such purpose consrruct at its own expense, in or upon any forest or waste land, such work as it thinks fit."

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि जब हमने फोरेस्ट एक्ट के मातहत गवर्नमेंट को इस प्रकार का अधिकार दे दिया है कि यदि जिन बातों का अभी मैंने फोरेस्ट एक्ट को पढ़कर उल्लेख किया हैं उन बातों को सरकार आवश्यक समझे और उस आवश्यकता के अनुसार वह उस जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहे ऐसी उस जमीन पर कब्जा करने के लिये जब व्यवस्था हमने फोरेस्ट एक्ट में की है। कब्जा करने के बाद मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा उसके लिए फोरेस्ट रूल बने हुए हैं। मैनेजमेण्ट के साथ साथ जिस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो

[श्री भैंरूसिंह]

उसको कितना कम्पेन्सेशन दिया जायगा, किस तरह से कम्पेन्सेशन दिया जायगा, उसकी व्यवस्था हमने की है और उसके लिए हमने आगे रखा है कि उस फोरेस्ट की जो ग्रोस इनकम होगी उस ग्रोस इनकम में से जो मैनेजमेंट का खर्चा होगा वह मैनेजमेंट का खर्चा निकाल कर उस जमीन के कब्जे के एवज में वह आमदनी उसके मालिक को दे दी जायगी। जिस आमदनी के ऊपर हम अपना हक जमा रहे हैं वह आमदनी सारी मैनेजमेंट को खर्चा निकाल कर दे दी जायगी। इस प्रकार से फोरेस्ट एक्ट में व्यवस्था की है कि जो जमीन कब्जे में ले रहे हैं उसमें केवल नेट इनकम का जिक्र किया है कि वह उसको दे दी जायगी। इसमें केवल देखना यह है कि कहीं नेट इनकम डिफाइन नहीं की कि नेट इनकम कौन सी होगी। इसमें हमने ग्रोस इनकम में से मैनेजमेंट के चार्जेज़ निकाल कर उसको दे देने की व्यवस्था की है। हमने यदि अलग व्यवस्था की है तो वह व्यक्ति इस कानून के मातहत क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसमें व्यवस्था की गई है कि किस तरह से कब्जा करेंगे, किस तरह से फोरेस्ट ग्रोथ का मैनेजमेंट करेंगे व मैनेजमेंट के बाद किस तरह से कम्पेन्सेशन देंगे।

अब सवाल इतना सा होता है कि लेन्ड रेवेन्यू बिल के मातहत नोटिफिकेशन दें या फोरेस्ट एक्ट के मातहत दें, किस कानून के मातहत जमीन पर कब्जा करें। यदि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार दो कानूनों में कन्फिलक्ट न हो, जनता कानून को ठीक समझ सके, उसका इम्प्लीकेशन ठीक ढंग से हो तो किसी एक चीज के लिए एक कानून बनाना चाहिए। जब कि राजस्थान सरकार एक है, जनता जिस पर वह कानून लागू होगा वह एक है तो एक आदमी के लिए, एक जमीन के लिए एक ही राज्य में दो प्रकार व्यवस्था होगी एक ही काम के लिए तो वह व्यवस्था अनुचित होगी और उसमें लोगों के झगड़े बढ़ेंगे फॉरेस्ट एक्ट के मातहत कब्जा करेंगे तो अलग से व्यवस्था हो, फोरेस्ट एक्ट के मातहत हम उस पर कब्जा कर सकते है। यदि वह कब्जा नहीं कर सकते हों तो लेन्ड रेवेन्यु बिल में इस प्रकार की कानून की व्यवस्था करना अवश्यक होगा। फोरेस्ट एक्ट अलग हमने बना दिये है। उसके मातहत हम कब्जा कर सकते हैं, उसका मेनेजमेंट भी कर सकते हैं तो फिर इस तरह की चीज की आवश्यकता नही है कि लेन्ड रेवेन्यू बिल में एक नयी व्यवस्था करें उस जमीन पर कब्जा करने के लिए, उसका मेनेजमेंट करने के लिए। दोनों की मन्शा एक है। फोरेस्ट एक्ट की भी मन्शा यही है कि फोरेस्ट ग्रोथ को काट नहीं सकते, सोइल का इरोजन न हो, सोइल में किसी तरह से फर्टीलिटी बनी रहे। इन सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिये जो नियम बने हुये हैं फारेस्ट एक्ट के मातहत जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। वही की वही सारी चीजें इसमें हैं। इसलिये मैं आवश्यक नहीं समझता कि फोरेस्ट एक्ट में जिन चीजों की व्यवस्था करदी है हमने उन चीजों को दुबारा रिपीटीशन केवल कानूनों में कन्फिलक्ट पैदा करने की नियत से किया जाय, ठीक नहीं है। हमने अधिकार दिया है फॉरेस्ट एक्ट में कि यदि फोरेस्ट ऑफिसर ठीक समझता है, वह उस जमीन पर कब्जा करे, यदि फॉरेस्ट ऑफिसर ठीक नहीं समझता है कि इस जमीन पर किसी तरह का मेनेजमेंट सरकार का हो वह उस जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। तो दूसरा कानून बनाकर हम तहसीलदार या कलेक्टर आदि को इस प्रकार की व्यवस्था का अधिकार देते है. तो सम्भव है कि इन दोनों में कन्फिलक्ट होगा।

[श्री भैंरूसिंह]

फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रोविजन्स हैं उनको यहां पर डिफाइन किया होता तो और बात होती लेकीन उस कानून को डिफाइन नहीं किया। इन प्रोविज़न्स के रहते हुए फोरेस्ट में कोई घुस भी नहीं सकेगा और न वहां पर कोई कुछ काम कर सकेगा। यदि फोरेस्ट वालों ने किसी चीज को काटने की किसी को इजाजत दे दी है, फोरेस्ट एक्ट के मातहत यदि रिजर्व फोरेस्ट भी है तो भी इजाजत मिलने के बाद कोई आदमी उस में चला जायगा लेकिन रेवेन्यूवाले तहसीलदार उसकी इजाजत नहीं देगें तो दोनों में झगड़ा होगा। इसलिए लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत फोरेस्ट बनाने का, फोरेस्ट पर कब्जा करने का, फोरेस्ट निर्धारित करने का जो कानून दफा १०४ के मातहत बना रहे हैं उसकी आवश्यकता नही है। इस प्रकार का कानन बना हुआ है। यदि उसको इनकोरपोरेट करना है तो इस प्रकार इनकोरपोरेट करलें। अलग अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। या ऐसा कर सकते हैं कि फोरेस्ट एक्ट में जो मेनेजमेंट, कब्जा, कम्पेन्सेशन की व्यवस्था है वह यदि सरकार आवश्यक समझे तो उसी के मातहत कर ले। लैंड रेवेन्यु एक्ट में अलग प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। फोरेस्ट एक्ट में जो प्रोविजन्स हैं उन्हीं को एप्लाई कर लेना चाहिये। अलग अलग कानून बनाना उचित नहीं है। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस धारा को रहने दें और पास न करें। यदि उनकी यह मंशा है कि गांव गांव अलग अलग फॉरेस्ट बनाना है तो बात दूसरी है वरना फॉरेस्ट एक्ट की प्रोविज़न्स इनकोर्पोरेट कर लेनी चाहिये।

रावत श्री शंभूसिंह—क्लॉज १०४ पर दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। माननीय चेयरमेन, इसमें जो दफा रखी गई है उसकी मंशा यह है कि प्राइवेट एस्टेट होल्डर्स के फोरेस्ट की सुव्यवथा का नाम दिया जाकर उस में इन्टरफियरेन्स किया जाय। यह बात वाजिब नहीं कही जा सकती। यदि वह एस्टेट होल्डर अपने फोरेस्ट को एग्रीकल्चर के काम में लाना चाहता है तो फोरेस्ट को काटने की जरूरत पेश आयगी, क्योंकि बगैर पेड़ों को वहां से हटाये एग्रीकल्चर के यूज़ में वह कैसे आ सकती है? लेकिन ऐसे नियम बनाये जायेंगे कि फोरेस्ट को प्रिज़र्व करने के लिए एस्टेट होल्डर किसी तरह का काम नहीं कर सकेगा तो अड़चन हो जायगी और वे उसको यूज़ में नहीं ला सकेंगे।

इसके अलावा एक ऐतराज यह भी है कि किसी के एस्टेट या प्रोपर्टी में हस्तक्षेप करना कानून के खिलाफ चीज होगी। किसी के राइट्स में आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसके रूल्स बनाये जायेंगे, पेनल्टी इम्पोज़ की जायगी, जो कानून तोड़ेगा यह उचित बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ, कि यह अनावश्यक क्लाज है। जब कि फोरेस्ट एक्ट विद्यमान है और उसके अनुसार हम वन की रक्षा कर सकते हैं, वनों का विकास कर सकते हैं, नये वन लगा सकते हैं तो फिर इस प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, १०.५ पर पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन साहब...

श्री हिम्मतसिंह—मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। चेयरमेन महोदय, मैं इस बारे में बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन सबको इच्छा है कि मैं भी कुछ कहूँ, इसलिये मैं कुछ निवेदन करूंगा। इस क्लॉज़ पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है लेकिन जैसा दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जब कि फोरेस्ट एक्ट में ऐसा प्रोविजन मौजूद है तो फिर इस बिल में इस तरह का प्रोविजन रख देना अनावश्यक है और डुप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेशन वाजिब भी नहीं होता और शोभा भी नहीं देता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर महोदय विचार करके इस क्लाज को ड्रोप करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, यदि आप भी बोलना चाहें तो फिर चेन्ज करें।

चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि यह क्लाज इतना साफ है कि इस पर इतनी बहस नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन क्यों हुई, समझ में नहीं आया। इसका फोरेस्ट एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। फोरेस्ट एक्ट एप्लाइज टू फोरेस्ट लैंड। इसका फोरेस्ट एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। आम तौर से किसी एस्टेट होल्डर की एस्टेट में कोई फोरेस्ट है तो वह फोरेस्ट एक्ट से गवर्न नहीं होगा। उनको बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिये ये प्रोविजन रखे गये हैं। यह सीधी सी बात है। जहां जहां के फोरेस्ट इसके अंतर्गत आते है उनको बचाने के लिये, उनको कायम रखने के लिये रूल्स बनाना चाहते हैं जिससे कि इसका कोई बेजा इस्तेमाल नहीं कर सके, काट नहीं सके। और क्योंकि फोरेस्ट एक्ट इस प्रकार की जमीनों पर एप्लाई नहीं होता इसलिये यह प्रोविजन रखा गया है। बाकी फोरेस्ट एक्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हम किसी के राइट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इस क्लाज में लिखा है कि "The State Government may, with a view to preventing deforestion make rules……"मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस बिल की धारा को मंजूर कर लेंगे क्योंकि यह वन के इन्ट्रेस्ट में है, डिफोरेस्ट को यह रोकता है।

श्री भैरूसिंह—फोरेस्ट की डेफिनेशन क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया था कि फोरेस्ट एक्ट आप पढ़ें तो। Forest Act applies only to the forest land which has been declared or which may hereinafter be declaredas such डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिये किसी एस्टेट होल्डर की एस्टेट में या किसी गांव के पास है ये forest growth है और यदि गवर्नमेंट यह सोचती है कि इस फोरेस्ट growth को प्रिज़र्व करना जरूरी है तो वह रूल्स बनायेगी। इसमें कोई कोन्फिलक्ट नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ नहीं होता।

श्री भैरूसिंह (वि०सं० १६)—फोरेस्ट एक्ट के सेक्शन ३५ को देखें तो उसमे लिखा है: "The Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, regulate or prohibit in any forest or waste land:-"यह कोरा फोरेस्ट लेन्ड के लिये नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—थोड़ा समझ का फर्क है। आप शुरू से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि यह उससे कवर नहीं होता। मैं अर्ज करता हूँ कि जिस प्रकार का क्लॉज़ है उसी प्रकार उसे पास किया जाय। इस पर कोई अमेंडमेंट भी नहीं है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०५, श्री भवानसिंह।

श्री वेदपाल त्यागी—There is no Bhawan singh, M. L. A.; it should be, I think Jawan singh.

श्री जवानसिंह—संशोधन इस प्रकार है :

(1) In sub clause, (1) Substitute, 'by Gram Panchayat and Municipal Boards' for the words, 'for the allotment.........such allotment.'

(2) Delete sub clause (2) to (5)

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस क्लॉज़ में जो संशोधन है वह सीरियल नं० ६५ पर है, इसको मैं इसी प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। मेरे गले की वजह से मैं मजबूर हूँ कि इस पर ज्यादा अर्ज नहीं कर सकता। पर मेरा विश्वास है कि सदन इसे सही मानकर स्वीकार करेगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति महोदय,.....

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—आपका भी संशोधन है क्या ?

रावत श्री शम्भूसिंह—मैं सिरोही से आये हुये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति—अभी समर्थन नहीं, पहले संशोधन होने दीजिये। श्री त्रिवेणी श्याम।

श्री त्रिवेणी श्याम—यह जो क्लॉज़ है इसमें भी डेवेलपमेंट ऑफ आबादी (Development of Abadi) के सिलसिले में है; लेकिन आबादी में जो जमीन दबाई जा सकती है उसके बारे में फिर क्या तरीका हो यह इसमें बिलकुल नहीं दिया हुआ है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह तो रूल्स में आयेगा।

श्री त्रिवेणी श्याम—बजाय रूल्स में आने के इसी में होना चाहिये कि जो जमीनें दबाई जांय, उनके सिलसिले में क्या कार्यवाही की जाय, आबादी को किस तरह डेवलप किया जाय, जमीनें कैसी रखी जायं ?

आबादी को डेवेलप करते समय कोई भी जमीन को आबादी के लिये अलग से रखना जरूरी है। जब तक अलग नहीं रखा जाता तो आबादी का सवाल नहीं होता और इसके लिये जो जमीनें दी जांय वे कोई प्रीमियम मुकर्रर होकर दी जानी चाहिये और आबादी को सिस्टेमेटिक रूप में न रख कर एक स्केटर्ड आबादी रहे तो वह डेवेलपमेंट न होकर गलत सी आबादी हो जाती है। आजकल आबादी को डेवेलप करने के लिये सिस्टेमेटिक रूप में रखा जाता है। इसलिये आबादी को डेवेलप करने के लिये जमीनें अलग से रखकर प्रीमियम से दी जायं और अगर कोई दूसरा आदमी उसमें मदाखलत करे, बेजा तरीके से दबाये तो उसके लिये माकूल इन्तजाम होना चाहिये। इसको एन्फोर्समेंट करने के लिये यह नहीं हो कि जो जमीन दबा ली गई उसका प्रीमियम ले लिया जाय बल्कि वह जमीन जब्त की जाय और पेनल्टी भी करनी चाहिये कि कोई इस तरह बेजा तरीके से आयन्दा जमीन को दबा न सके, जितनी जमीन दबाई है और पहले से जो जमीन उसके कब्जे में है वह भी जब्ती में आनी चाहिये, इस तरह की एग्ज़ाम्पलरी पनिश्मेन्ट होनी चाहिए ताकि किसी को इस तरह बेजा तौर पर जमीन दबाने में हौसला अफज़ाई न हो।

तो इसके लिये मैंने अमेंडमेंट किया है कि सब क्लॉज़ (५) के बजाय इस प्रकार जोड़ दिया जाय :

"(6) Any preson who after the commencement of this Act occupies any land in the abadi area otherwise than in accordance with the provisions of sub-section (2) or any rules made under sub-section (1) or without proper authority makes any construction on such land separately or by way of extension of a previously existing building or construction on his adjoining land or who after such commencement makes otherwise than under proper authority, any construction on any land referred to in sub-section (5) or on such land and other land in his occupation lawfully or otherwise shall be regarded a tresrasser and dealt with as if he were a person occupying or continuing to occupy land without lawful authority."

तो इस तरह से अनऑथराइज्ड जमीनें दबाई जाती हैं उनका इससे सारा इन्तजाम हो जाता है और वह तरीका जो कि माननीय राजस्व मन्त्री पेश कर चुके हैं कि नोटिस दिया जाय और जरूरी इन्क्वायरी होकर सारा तरीका हो और जमीन से उसको हटाया जाय; इस तरह का तरीका आबादी के डेवेलपमेन्ट के लिये नहीं रखेंगे तो कोई इन्तजाम नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. Chairman, I feel that this section requires redrafting and more amendments. Before we discuss it fully I think it may be deferred so that we might discuss it amongst ourselves. Clearly I feel that there is a

[श्री दामोदरलाल व्यास]

conflict between this section and the provisions of the Tenancy Act. So far as the amendment of shri Trivenj Shyam is concerned, we have got to adjust it and I think Mr. H. K. Vyas will not have to make a long speech. We defer it and will redraft it after incorporating proper amendments; so my request is that this clause may be deferred and may be taken up tomorrow or day-after on the next sitting so that if there is any conflict between this Act and the Tenancy Act or any other Act and is necessary to amend, then this clause may be brought before the House after redrafting it.

श्री सभापति—Then this clause is deferred.

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास—My submission is that when the clause has been deferred it is not necessary for Mr. Vyas to make a speech .

श्री सभापति—The question is that when he speaks, you may take into consideration his suggestions while redrafting this clause.

श्री श्यामलाल गोयल—I may also be allowed to put my suggestions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to inflict any speech on the hon'ble members if the amended clause will cover my point of view.

श्री दामोदरलाल व्यास—I shall take you into confidence and consider your pont of view.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am thankful to the hon'ble minister for his, atleast once recognizing a correct thing. I will speak on the next day.

श्री सभापति—Then there is no need for a speech We proceed further.

(विराम)

Clause 105 is deferred.

(विराम)

खण्ड १०६, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—चेयरमैन महोदय, क्लॉज़ १०६ में मेरा एक बहुत साधारण अमेंडमेंट है और वह है क्लेक्टर के स्थान पर सब डिविजनल ऑफीसर को सब्स्टीट्यूट करने के सम्बन्ध में। क्लॉज़ १०६ में प्रीमियम मुकर्रर करने के सम्बन्ध में क्लेक्टर को अधिकार दिये गये हैं। जहां तक कि मौजूदा क्लॉज़ का ताल्लुक है और मौजूदा क्लॉज़ के माफिक प्रीमियम मुकर्रर किया जायगा तो मैं यह मानकर चलता हूं कि क्लेक्टर खुद प्रीमियम फिक्स नहीं करेगा, वह अपने मातहत अफसरों से जानकारी लेगा और वह जानकारी सब डिविजनल ऑफीसर के मार्फत क्लेक्टर के पास आयेगी और दूसरी बात यह बताई गई है कि प्रीमियम एक सा नहीं होगा और अलग - अलग जमीनों का उनकी अलग अलग स्थिति को देख कर अलग अलग तौर से मुकर्रर किया जायगा तो क्लेक्टर के मुकाबिले में यह काम सब डिविजनल ऑफीसर ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हैं।

जब हम कोई कानून बनायें तो यह मान कर चलना चाहिये कि अनावश्यक कागजी कार्यवाही न हो और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। मौजूदा धारा रही तो सब डिविजनल ऑफीसर इसके बारे में जांच करके अपनी राय क्लेक्टर को भेजेगा और क्लेक्टर गजट में छपवाने के लिए भेजेगा तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, सिवाय इसके कि कागजी कार्यवाही बढ़े।

इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—यह ठीक है कि क्लेक्टर जो प्रीमियम मुकर्रर करेगा वह अपने मातहत अफसरों की राय लेकर मुकर्रर करेगा, पर यह आबादी की लैंड का प्रीमियम मुकर्रर करने का जो काम है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसलिये यह काम सब-डिविजनल ऑफीसर के पास रहना अच्छा नहीं होगा।

श्री भोपालसिंह—कोरम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कलेक्टर के पास अधिकार होना आवश्यक है।

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Now, the Quorum is there.

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मुझे जवाब देना है।

चेयरमेन महोदय, माननीय मंत्रीजी के जवाब को सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एस. डी. ओ. को हम अधिकार क्यों नहीं देना चाहते।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपको कब आश्चर्य नहीं होता?

श्री सभापति—Order please !

श्री चांदमल मेहता—एस. डी. ओज. को क्या क्या अधिकार दिये गए हैं, उनको माननीय मंत्री अगर एक बार फिर अपने ध्यान में लाते तो शायद उनको यह कहने का मौका नहीं मिलता कि आबादी लैंड के प्रीमियम फिक्स करने के लिए अधिकार एस. डी. ओ. को नहीं देकर कलेक्टर को देना चाहिये। हम देखते हैं कि हमने इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी के अधिकार एस. डी. ओ. को दिये हैं। इसके अलावा एस. डी. ओ. के पदों पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वे आर. ए. एस. केडर के हैं जो उस लिस्ट में हैं जो ऊंचे दर्जे की लिस्ट आंकी जाती है। इस तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लेक्टर में भी आर. ए. एस के केडर के आदमी काम करते हैं। मैं नहीं मानता कि वे लोग इसके लिये उपयुक्त नहीं हैं कि वे आज के समय प्रीमियम मुकर्रर कर सकें। अगर वे प्रीमीयम भी मुकर्रर नहीं कर सकते हैं तो उनकी योग्यता के सम्बन्ध में सरकार ने गलती की है और जो गल्ती की है उसको ठीक करना चाहिये। यह सरकार की गलती है और मैं यह माननीय राजस्व मन्त्री से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें। वे यह बात मानकर न चलें कि जो एमेंडमेंट उनके सामने आवें उनको वे ना-मंजूर करें। उनको चाहिये कि जो वाजिब हों उनको उन्हें स्वीकार करने की भावना होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इसमें गलत समझ बैठे हैं। प्रीमियम फिक्स करने का काम जिम्मेदारी का काम है। क्लेक्टर प्रीमियम फिक्स करेगा, उसमें एस. डी. ओ. और तहसीलदारों को कन्सल्ट जरूर करेगा।

श्री चांदमल मेहता—इसमें साफ किया गया है। इसके खिलाफ कहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—एक डिस्ट्रिक्ट में कई एस.डी.ओज़. होते हैं और कई तहसीलें होती हैं। That will not be proper that S. D. O. should be authorised to fix premium. और डिस्ट्रिक्ट का हेड क्लेक्टर है। वह सब को कन्सल्ट करके युनिफोर्म रेट फिक्स कर सकता है। मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य ने, जो मैंने कहा, उसको गलत समझा है। माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि हर बात जो वे पेश करते हैं उनकी नहीं मानी जा रही है। मैं यह कहूँगा कि जो वाजिब बातें होती हैं वे मानी जाती हैं और कई बार मानी हैं। There must be one Criterian for fixing the premium. इस बात को ध्यान से रखते हुए कि कलेक्टर जिले का हेड है उसके पास पॉवर्स रहना चाहिये। वह भी प्रीमियम फिक्स करेंगे तो तहसीलदार और एस. डी. ओ. व दूसरे अधिकारियों से कन्सल्ट करके ही करेंगे। आप यही चाहते हैं, फिर एस. डी. ओ. को सिर्फ पॉवर्स देने में क्या असुविधा और सुविधाएं पैदा हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा है उससे माननीय सदस्य को संतोष हुआ होगा और वे अपने एमेंडमेंट को वापिस लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय राजस्व मन्त्री ने जो बातें बताई हैं उससे मुझे संतोष नहीं होता और मैं अपने एमेंडमेंट्स को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

Page No.46

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने जो संशोधन क्लॉज़ १०६ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'हां' पक्ष जीता।

एक सदस्य (कांग्रेस)—यह गलत है।

श्री सभापति—क्या इसमें डिविजन की आवश्यकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—yes, sir.

श्री सभापति—मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री सभापति—(श्री चांदमल मेहता से) आप डिविजन के लिये प्रेस करना चाहते हैं ?

(श्री चांदमल मेहता के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई भी सदस्य इसके लिए प्रेस कर सकता है।

Once it is put to vote then it is the option of any hon'ble member to request the Chair for a division.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल ने क्लॉज़ १०६ में रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खड़े करके मत ले लिये जावें। चांदमलजी के मोशन में फिर कब कब मौका आवेगा ?

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०६ प्रस्तावानुसार विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०७, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, ऊपर वाला क्लॉज़ १०५ डेफर हो चुका है और चूंकि यह भी उससे सम्बन्ध रखता है इसलिए इसको भी उसके साथ लिया जाय। इसलिए मैं...

श्री सभापति—क्या आप (राजस्व मंत्री) १०७ को डेफर कराना चाहेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास—I would like to hear any member's views on this point. then I will decide.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने निवेदन किया कि १०५ वां क्लॉज़ पहले डेफर हो चुका है और जब तक उस पर कोई डिसीजन न हो जावे तब तक उससे आगे के क्लॉज़ पर डिसीजन न हो पायगा, क्योंकि यह उस पर आधारित है। इसलिए क्लॉज़ १०७, १०८, १०९ व ११० डेफर कर दिये जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, यह क्लॉज़ डेफर किया जाय या नहीं किया जाय, इस पर निर्णय तो अब होगा लेकिन इस क्लॉज़ पर विचार क्या हैं, यह माननीय मंत्री महोदय के और सदन के माननीय सदस्यों के सामने आ जाने चाहिए।

क्लॉज़ १०७ बिलकुल खतरनाक है और उसूलन रूप में गलत ढंग से रखा गया है। उसमें यह लिखा है कि, "In all cases where there are more then one applicant for the same piece of land in the abadi area of a village, it shall be sold to the highest bidder at a public auction."

यह मानने काबिल बात है कि ऐसे लोग कि जो साधन-सम्पन्न हों अथवा बड़े क्षेत्र के घेरे को रखने की नीयत से कोई जमीन लेना चाहते हों उनमें होड़ का सवाल आये तो पब्लिक ओक्शन ही एक अच्छा तरीका है। जो ज्यादा कीमत देता है वही उसको लेता है। लेकिन गांवों की आबादी में केवल एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है और वह व्यक्ति है किसान। जमीन पर काश्त करने वाला किसान जिसके पास जमीन न हो उसको गांव की आबादी में मकान की व्यवस्था हो जाय, इस लिए जमीन लेने का अधिकार दिया गया है। जब आपने किसान को निश्चित तौर पर जमीन का अधिकार दिया है, बगैर किसी चार्ज के दिया है और फिर उस गांव में कोई खेत मजदूर हो, किसान

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो, काश्त करता हो, एग्रीकल्चरल ओपरेशन्स में जो भाग ले ले, लेकिन जो फिर भी टिनेन्सी एक्ट की धारा में नहीं आता है कि जिसके अन्तर्गत कि वह जमीन लेने का अधिकारी हो जाय, तो ऐसे लोग जो खेत मजदूर हैं, गांव बलाई हैं, गांव भांभी हैं, ऐसे व्यक्ति जो गांव के अन्दर होते हैं, चाहे वह चमड़े का काम करने वाला हैं, चाहे और कोई काम करने वाला हो, तो ऐसे गरीब तबके के जो लोग हैं उनके गांव में रहने की व्यवस्था आप करिये या नहीं करिये, लेकिन उन्हें जमीन मुफ्त मिलनी चाहिए, अगर मुफ्त नहीं मिलती है तो उनको सस्ती से सस्ती मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था आप करना चाहेंगे या नहीं ? लेकिन कहा यह जा रहा है कि एग्रीकल्चर की जमीन जिस किसी गांव में हो वह बगैर किसी कीमत के उसको मुफ्त मिल जायगी लेकिन क्या एक खेत मजदूर, एक सूदखोर बनिये के मुकाबले में खड़ा होकर बोली लगा सकता है ? यह तो एक हैरत पैदा करने वाली चीज़ है चेयरमेन महोदय, और इससे तो एक खतरनाक चीज़ पैदा हो जायगी। एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लॉज डेफर करने का वातावरण बन रहा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहिये कि ऐसे तबके के जो किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं, खेती के सुधार के लोग हैं ऐसे लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और बाकी के लोगों को पब्लिक ओक्शन से दे इसके लिये कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। Agricultural labour, scheduled castes, Harijans, artisans assisting in agricultural operations; इन केटेगरीज़ को in order of merit रख कर इनको फ्री लैंड दे दें और बाकी के लिए पब्लिक ऑक्शन करे। अतः मैं मौजूदा क्लॉज १०७ का तीव्र विरोध करते हुये अनुरोध करूंगा कि इसमें संशोधन करके इसको ठीक तरह से रखा जाय। माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे। माननीय मंत्रीजी के ध्यान में देर से बात जाती है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय यहां हैं, इसको स्वीकार कर लेंगे कि यह डेफर कर दिया जाय।

रावल श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूँ और इस क्लॉज़ को....

(राज श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास—There is no amendment, I think.

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह)—He did not move.

(विराम)

रावत श्री शंभूसिंह—क्या मैं जारी रखूं।

श्री सभापति—yes.

रावत श्री शंभूसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस क्लॉज़ के विषय में टिनेन्सी एक्ट में व्यवस्था की गई है और उसके विषय में जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने बहुत कुछ कहा कि जब एक टिनेन्ट को इस बात का अधिकार है कि उसको गांव में जमीन मिलने का हक है तो फिर ऑक्शन करने की क्या आवश्यकता है और वह अनावश्यक ही नहीं बल्कि टिनेन्ट के ऊपर हमला करने वाला होता है यह ऑक्शन। इसको डिलीट करने की मंशा सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने प्रकट की है, उसके सम्बन्ध में १०५ वां क्लॉज़ है और चूंकि वह धारा डेफर कर दी गई है इसलिए सुझाव दिया है कि आबादी पर इन्तजाम करने और आबादी की जमीन देना-लेना ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जावे और इस वक्त भी ऐसी व्यवस्था है कि आबादी के अन्दर जमीन देने का काम ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी करती आ रही है और उसके वास्ते सरकुलर भी ग्राम पंचायतों के पास पहुँच चुका है। तो क्या अब इस व्यवस्था के द्वारा कि सरकार उसको, उस जमीन को ऑक्शन करेगी या कलेक्टर उसको करेगा, और जो ग्राम पंचायतों को हक मिले हुए हैं वे वापिस लिये जा रहे हैं? ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर जो प्रगति का काम किया है क्या उससे पीछे जावेंगे? कल जब इस बात पर चर्चा चल रही थी कि लैंड रेवेन्यू ग्राम पंचायतें वसूल करें और उसके वास्ते यह आशा की गई थी कि सरकार के द्वारा यह बात स्वीकार कर ली जायगी लेकिन कल जैसा रुख अपनाया गया था उससे प्रतीत हुआ कि ग्राम पंचायतों को जागरुक बनाने के लिए सरकार तैयार नही है। यह ऑलरेडी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतें, जमीन जो गांवों में हैं, उनको वहां वह देती लेती है तो क्यों ये हक़ूक ग्राम पंचायतों से वापिस छीन कर आबादी की जमीन को कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑक्शन करवाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अनुचित बात होगी। हम तो यह आशा लगाये बैठे थे कि ग्राम पंचायतों को जो कि लोकल बोर्डीज़ हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्वावलम्बी बनाये और उनको स्वावलम्बी बनाने के वास्ते यह आवश्यक है कि आमदनी के कुछ साधन उनके सुपुर्द कर दिये जावें ताकि वे स्वावलंबी बन पायें। लेकिन लैंड रेवेन्यू के अधिकार उनके सुपुर्द करना तो दरकिनार रहा अन्दर हल्के आबादी की जमीन से जो कुछ फायदा वे उठा सकते थे अपने साधनों के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स से ऑक्शन करवा करके वे रहे सहे साधन भी उनसे छीन रहे हैं। यह रुख अपनाया जा रहा है उन मित्रों द्वारा जो उधर बैठे हुए हैं और जो गांवों को स्वावलम्बी बनाने की और गांवों की उन्नति की चर्चा करते हुए नहीं थकते हैं। क्या यही प्रमाण है गांवों को स्वावलम्बी बनाने का?

तो मैं माननीय चेयरमेन महोदय, आपके द्वारा यह दरख्वास्त करता हूं कि जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने इस धारा को डिलीट करने का सुझाव रखा है यह डिलीट कर दी जाय। एक तरफ तो मैं इस बात की आशा कर रहा था कि माननीय मंत्रीजी इस बात को स्वीकार कर लेंगे और ग्राम पंचायतों को जो अधिकार इस समय मिले हुए हैं और जो अन्दर हल्के आबादी की जमीन देने के अधिकार मिले हुए हैं उन पर कोई रोक नहीं लगावेंगे।

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I rise to support the amendment submitted by the Hon'ble Member from Sirohi.

Page No.50

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. Chairman, there is no amendment. There is only discussion on the original clause, and no amendment has been moved so far.

श्री जवानसिंह—I have presented the amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास—You have......

श्री सभापति—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—It has not been formally moved.

श्री सभापति—He says he has moved it. His throat is not co operating with him, therefore he did not speak and as such it is taken that he has moved.

श्री श्रीभानसिंह—I rise to support his amendment. All throughout this Act there is one continuity that is running. Every power has been centralised with the Collector. Probably we do not know the amount of work that the Collector is to discharge. Besides all other judicial and administrative duties he has also touring duties. If we centralise all the work with the Collector I do not know how much time within five hours is going to give to it. Therefore his amendment which seeks to delete this clause and adopt a procedure to give the power to the Panchayats and Municipal Boards or local bodies is a very appropriate amendment.

In a socialistic pattern of society there is also a definite pattern of administration that we are over-looking. In a socialiftic pattern of society the fundamental point is decentralisation of administration. We must adopt it and give some powers to the Panchayats. After the sale proceeds of the crops are realised, they will go to their own fund. Therofore it is very appropriate that more powers should be giveu to the Panchayats and less powers to the Collector and District Magistrate so that whatever work he has to do he can discharge them with efficiency.

Not only this, there is another point to be considered, and that is the point of auction. We have to decide priorities. In a sccialistic pattern of society or in agriteulture our landless labour forms the majority. We have to decide and rehabilitate the landless labour. The landless labour does not get as much income as any other agriculturists. We must provide that they must be able to give a free bid as much or on equal terms with other agrlculturists. Therefore as we have to decide in the tenancy that a certain type of land will be bid by so many priorities, we have to decide the priorities. We must give the landless labour priority bid. Only then, after that, the other people, the other agrlculturists should have the chance. With these words I support this amendment.

श्री भैरोंसिंह—(वि० सं० १६) माननीय चेयरमेन, धारा १०७ के संबंध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

माननीय चेयरमेन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक पढ़ा है उनको इस बात का उसमें उल्लेख मिलेगा कि शासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये, योग्यता लाने के लिए, काम सुविधा जनक हो इस बात को लाने के लिए, आज नहीं तो कुछ समय बाद युनीटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेंट करनी पड़ेगी। दूसरे मायने में इसका मतलब यह हुआ कि जो काम सरकारी अधिकारियों के पास है वह काम धीरे धीरे जनता के हाथों में दे दें और जो अधिकार आज सेन्टर, केन्द्र में किसी एक उच्चाधिकारी के पास है जिस उच्चाधिकारी के पास पहूँचने में उसको दरखास्त देने में और उसके आदेश प्राप्त करने में किसी भी साधारण आदमी को दिक्त हो सकती है उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी पड़ेगी। और इसी ओर पग बढाते हुए हमने गावों, ग्राम पंचायतों की और शहरों के म्युनिसिपल बोर्ड की व्यवस्था की हैं। ग्राम पंचायतों को ग्रामों का प्रबन्ध करने के लिये और शहरों में शहर म्युनिसिपैलिटी को आज्ञा दी है और ये ही संस्थायें प्रबन्ध करती है। वे संस्थायें अगर इस बात को आवश्यकता महसूस करती हैं कि यह जमीन ऐसी है इसमें बाग बगीचा लगाने की आवश्यकता है, यह सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी जानी चाहिये इन सब बातों का प्रबन्ध इन संस्थाओं द्वारा ग्राम और शहरों में किया जाता हैं। अगर हम अब इस क्लॉज़ द्वारा यह चाहते हैं कि गांव का तहसीलदार, या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अगर किसी का मकान बना हुआ है उस जमीन को वह देखता है कि यह खेती के लिये उपयुक्त है, बाग बगीचे के लिये यह होनी चाहिए; यह जमीन सार्वजनिक स्थान के लिये योग्य नहीं तो उसकी यह सारी रिपोर्ट पटवारी की रिपोर्ट पर आधारित होगी। कलेक्टर, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एग्री हो गया और जो आगे रिकमन्डेशन होगी वह सारी की सारी पटवारी की रिपोर्ट से आधारित होगी। हमने पंचायतों को अभी अभी अधिकार दिये हैं कि जहां ग्राम पंचायते हैं वे ग्राम पंचायतें जितनी भी जमीन हो उस जमीन को वह बेच सकती है, उसके पटे्ट कर सकती है। इस प्रकार के अधिकार हमने पंचायतों को दिए हैं। आज वे ही अधिकार उनके हाथों से छीन रहे हैं। या तो आप यह समझे होंगे कि पंचायतें इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करेंगी, उनको इस प्रकार के अधिकारों कारण जनता को परेशानी है या उनके अधिकारों के कारण सरकारी कामों में रुकावट होती है; यदि आपका इस प्रकार का एक्सपीरीएन्स है तो आप जरूर तहसीलदार को यह अधिकार दें, किन्तु जब इस प्रकार के अधिकार दिये केवल एक माह ही हुआ है तो इतने अल्प समय में इस प्रकार का एक्सपीरिएन्स का होना तो मैं उचित नहीं मानता। लेकिन यह जो आप इस धारा में अधिकार रख रहे हैं उसका मतलब यह होगा कि जो अधिकार हमने एक माह पहले ग्राम पंचायतों को दिये उनको खत्म करके एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। आज एक जमीन को, जिसको पंचायत को बेचने का भी अधिकार है और दूसरी तरफ तहसीलदार भी उस जमीन को बेच सकता है तो इस तरह से इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग होगा। मान लीजिये एक जमीन है, जिसको बेचा जा रहा है; उसके लिए एक तो पंचायतों के पास दरखास्त आयगी और तहसीलदार के पास भी दरखास्त आयगी और बेचने का अधिकार दोनों को है। इस तरह से दोनों द्वारा बेची गई जमीन नियम के अन्तर्गत मानी

[श्री भैंरूसिंह]

जायगी। दोनों को पट्टा देने के भी अधिकार है । इस तरह से इसमें तहसीलदार या सरपंच इन दोनों में से किसी का नुकसान होने वाला नहीं; इसमें नुकसान होगा तो गरीब जनता का। ग्राम पंचायत एक आदमी को उस जमीन का पट्टा किसी खास कीमत पर दे देती है और एक दूसरा आदमी पहुँचता है तहसीलदार के पास और वह कहता है कि यह जमीन तो मेरी है इस पर हक मेरा है, जितने ज्यादा पैसे हों मैं दे सकता हूँ दुगुने तिगुने और वह तिगुने दाम देकर ले लेता है। इसमें तहसीलदार भी यह सोचता हो कि चलो सरकारी खजाने में ज्यादा पैसे जमा होंगे। इसको दे दी जाय अगर किसी जमीन को पंचायत ने पचास रुपये में दे दिया अगर उसके लिये पांच सौ रुपया लेकर दूसरे को दे देते हैं तो इस तरह कार्य करने से यह होगा कि हम ग्राम पंचायतों द्वारा जो निर्णय किये गये हैं उसके निर्णय की कद्र नहीं करेंगे ।

इसमें ऑक्शन का जो तरीका रखा गया है वह भी गलत है । गांव के अन्दर इस समय दो वर्ग काम करते हैं एक वर्ग तो पूंजीपतियों का है, और दूसरा गरीब वर्ग। पंजीपतियों में करोड़पति में नहीं है किन्तु कोई भी एसा गांव नहीं जहां की आबादी का आधा भाग ऐसे आदमियों का है जो धनिक वर्ग कहला सकता है । इस तरीके से अगर हमने किसी जमीन का ऑक्शन किया और यह तरीका अपनाया कि जिसकी बोली ऊंची से ऊंची होगी उसी को दी जायगी तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन लोगों को जमीन मिलने की कतई आशा नहीं रहेगी क्योंकि उन धनिक वर्ग के मुकाबले गरीब किसान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वह उससे ऊंची बोली लगाये। इस तरीके से गरीबों को कोई जमीन मिलने की संभावना नहीं रहेगी ।

लेकिन होगा यह कि आगे हमने क्लेक्टर को अधिकार दिया है कि क्लेक्टर चाहे तो रद्द कर दे। क्लेक्टर चाहेगा क्यों ? क्लेक्टर के सामने दो प्रकार की दुविधाएं होंगी। एक तो सबसे ज्यादा पैसा देने की और दूसरी चीज होगी कि हाइएस्ट बिड वाले को जमीन नहीं देता है तो लोग शिकायत करेंगे कि हमारी हाइएस्ट बिड थी वह क्लेक्टर साहब ने ना मंजूर कर दी । हाइएस्ट बिड जिसकी है अगर वह इन्फ्लुएन्शल आदमी है, किसी राजनैतिक संस्था का आदमी है, विधान सभा का सदस्य है या और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो क्लेक्टर साहब और तहसीलदार के पास बेचारा कोई गरीब आदमी दरख्वास्त देगा रिजेक्शन की तो उस दरख्वास्त की सुनवाई नहीं होगी। वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यदि जमीनों को ग्राम पंचायतों को बेचने का, नगरपालिकाओं को बेचने का कोई अधिकार हो सकता है तो उस अधिकार का सदुपयोग होगा, क्योंकि वह वहां के उन व्यक्तियों के हाथों में होगा जो व्यक्ति गांव की समुचित व्यवस्था करते हैं। वे गांव की व्यवस्था करते हैं तो उन्हें गांव के व्यक्तियों का पूरा परिचय है। वे जानते हैं कि गांव में कौन मालदार है, पैसे का कौन दुरुपयोग करके गरीबों का हक छीन रहे हैं। इस बात का कानूनी अधिकार पंचायतों को होगा या म्युनिसिपेलिटियों को होगा। वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप गरीबों को कोई जमीन दिलाना चाहते हैं, यदि आप धनवान आदमियों के हाथों से गरीबों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रकार का अधिकार अपने हाथों में न रख कर पंचायतों और म्युनिसिपेलिटियों को जो अधिकार हमने

[श्री भैंरूसिंह]

दे दिये हैं उन अधिकारों से वे सन्तुष्ट होकर जो कुछ वह कार्य कर रहे हैं उनको काम करने की आगे इजाजत देनी चाहिये। उसमें कोई रुकावट पैदा होती है, यदि उसमें किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका एक्सपीरियन्स करके उसको देखें तो सही, और देखकर ऐसी आवश्यकता हो तो पंचायतों के अधिकार छीन कर दूसरे प्रकार की व्यवस्था करें। अधिकार दिये हैं उसका एक्सपीरियन्स होने का कोई सवाल नहीं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि तहसीलदार को अधिकार दिया तो तहसीलदार स्वयं तो यह कार्य कर सकता नहीं। वह पटवारी से नक्शा मांगेगा और गिरदावर उस नक्शे को तस्दीक करेगा और फिर तहसीलदार का पेशकार होगा वह उसको देखेगा। यह काम करने की सीढ़ियां हैं। यह काम करने की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि गरीबों से पैसा छीनने की सीढ़ियां हैं। एक जगह एक आदमी ने २५ रुपये दे दिये तो पटवारी ने रिपोर्ट की और दूसरा गिरदावर से मिल गया तो उसने रिपोर्ट कर दी कि यह जमीन उस आदमी को नहीं मिलनी चाहिये और यह जमीन चूंकि दूसरे आदमी से एडज्वाइन्ड है इसलिये इस जमीन पर उसका हक नहीं हो सकता है। वैसी सूरत में वह उस जमीन को पाने का अधिकारी नहीं है। यदि वहां दूसरा व्यक्ति पहुँच गया जो गिरदावर के इन्फ्लुएन्स से भी ज्यादा इन्फ्लुएन्स रखता है और उसने जाकर तहसीलदार साहब से कहा कि यह जमीन मुझे दिला दो और आपका जो कुछ इनाम इकराम होगा वह जमीन मिलने के बाद में आपको मिल जायगा। तो यह सारी की सारी चीज एक तरह से बेकार हुई। एक तरफ से जो रिश्वत की प्रणाली चली आ रही है उसे हमें बन्द करना है, गरीब व्यक्तियों की जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर उन्हें जमीन मिले इस प्रकार की व्यवस्था करना है, उन्हें इन दोनों चीजों से बचाने के लिये पंचायत राज्य की हमारी कल्पना है, पंचायतों की स्थापना की है। गांव वालों को अधिकार दिये हैं, राजनैतिक अधिकार जो हो सकते हैं वे उन लोगों को प्रदान किये हैं, उन अधिकारों को आज आप ले रहे हैं यह उचित नहीं होगा। इस सिद्धान्त के यह चीज प्रतिकूल होगी। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस धारा में यह जो संशोधन है उसको स्वीकार कर लेंगे। और जो पंचायतों के पास अधिकार हैं उन अधिकारों को रहने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ पर जो यह विवाद हो रहा है वह गलतफहमी से हो रहा है! इसमें शायद इतने डिस्कशन की आवश्यकता नहीं थी।...

श्री चांदमल मेहता—मैंने भी इसमें एमेंडमेंट रखा है। मुझे मौका नहीं दिया है। यदि स्वीकार किया जाता है तो मैं मूव नहीं करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—कर दीजिये मूव आप भी।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—श्री चांदमल मेहता।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, १०.५५ बजे पदासीन)

Page No.54

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०७ पर मेरा भी एक छोटा सा संशोधन है। अभी धारा (खण्ड) १०७ पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और मैं उन विचारों में काफी वजन मानता हूँ और यह बात मानकर चलता था कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय, जो सदस्यों ने दलीलें दी हैं उनसे सहमत होकर या तो जो संशोधन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार कर लेंगे या यदि स्वीकार करने की स्थिति में आज नहीं हैं तो कम से कम इस धारा को डेफर करके और दूसरे सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में लेकर नये ढंग से धारा को लायेंगे। लेकिन उनके जवाब से ऐसा विदित हुआ कि वे उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। उस स्थिति में...

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री चांदमल मेहता—यदि वे इसे डिलीट करने या डेफर करने के बारे में विचार रखते हों तो मुझे संशोधन पेश नहीं करना है।

श्री दामोदरलाल व्यास—पेश कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—You may say what you want to say.

श्री चांदमल मेहता—(खंड) १०७ में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मैं स्वयं भी इस मत का हूँ कि खण्ड १०७ को डिलीट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि माननीय मंत्री महोदय अपने उसी निश्चय से कि किसी संशोधन के आने पर स्वीकार नहीं किया जाय आरूढ़ रहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वे चाहे कुछ भी विचार रखें लेकिन अगर इसी विचार में हों कि इस धारा को रखना है तो मेरा एक छोटा सा संशोधन है; उसमें 'कलेक्टर' के स्थान पर 'सब डिवीजनल ऑफीसर' कर दिया जाय। खन्ड १०७ में 'कलेक्टर' शब्द दो जगह इस्तेमाल किया गया है। पहले इस्तेमाल किया गया है प्रोवीजो के खंड (१) में, जहां कि यह कहा गया है कि:
"It shall be open to the Collector to refuse the highest bid for reasons to be recorded."
इस धारा के मुताबिक जैसी कि धारा इसमें है यह तो उसूल मान लिया है कि ऑक्शन होगा, और ऑक्शन होने के बाद यदि ऑक्शन में किसी की हाइएस्ट बिड हो तो उसे कौन रिफ्यूज करे? इसका हम अधिकार देते हैं कलेक्टर को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय समय पर यह निवेदन करता रहा हूं कि सत्ता का एकेन्द्रीकरण करने के बजाय सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयत्न करे। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में एक ओर जहां जनता की सुविधा बढ़ती है वहां दूसरी ओर सरकार का खर्चा भी घटता है और काम जल्दी हो जाता है। यदि किसी मामले में यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया तो कलेक्टर किस आधार पर उसे रिजेक्ट करेगा? मैं सोचता हूं कि उनके पास रिजेक्ट करने का आधार वही होगा जो कि एस. डी. ओ. अपनी ओर से तजवीज में देगा। इस धारा में यह कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि कलेक्टर यह मौका देगा। जो कुछ भी बोली बोलने वाले हैं उनको वह मौका देगा कि अपने २ उजरात बतायें, उसके बाद फैसला देंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो कुछ भी व्यवस्था है उससे मैं यही कह सकता हूं कि एस. डी. ओ. जो कुछ भी तजवीज देगा उसके आधार पर ही वह अपनी ओर से आज्ञा देंगे। इसमें हमारा अनुभव यह हुआ कि काफी समय तक उस

[श्री चांदमल मेहता]

व्यक्ति को इन्तजार करना पड़ेगा क्लेक्टर के फैसले का, चाहे वह जमीन हाइएस्ट बिड वाले को मिले या कम बिड वाले को। क्लेक्टर के पास जितना आजकल काम है उस सारी स्थिति को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि क्लेक्टर प्रत्येक मामले में काफी गहराई से सोच नहीं सकते और अधिकतर मामलों में एस. डी. ओ की रिपोर्ट के आधार पर उनकी आज्ञाएं होती हैं। तो उस स्थिति में मामले को जल्दी निबटाने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि जो अधिकार क्लेक्टर को दिया गया है उसके बजाय एस. डी. ओ. को दे दिये जांय।

अभी प्रीमियम के मामले में एक दलील देते हुए कहा था कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इस महत्वपूर्ण मामले में एस. डी. ओ. को अधिकार दिये जाने चाहिये या क्लेक्टर को दिये जाने चाहिए, और उसमें आपने अपनी दलील दी थी कि एस. डी. ओज़. भी आर. ए. एस. केडर के आदमी हैं, योग्य आदमी हैं, तो सही फैसला वे जमीन का ले सकते हैं। किसी उसूल के आधार पर या और कोई आधार हो उसे मुकर्रर करके उस दृष्टि से क्लेक्टर को यह अधिकार दिये जा रहे हैं। तो यह ऐसी बात नहीं है। यहां तो जैसी स्थिति है तो उस स्थिति में यह अधिकार होना चाहिए कि फैसला तजवीज भी एस. डी. ओ. कर सकता है।

श्री चांदमल मेहता—इसमें सब क्लॉज़ (२) मौजूद है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई उस मकान के नजदीक पड़ता है या और किसी किस्म की बात है तो उसके लिये अलग व्यवस्था है। इन सूरतों के अलावा जहां और ही बात हो सकती हो तो वहां सब डिविजनल ऑफीसर जो फैसला देंगे वही मान्य होगा।

जल्दी फैसला हो, इसके लिए क्लेक्टर के स्थान पर सब डिवीजनल ऑफीसर कर दिया जाय।

दूसरा, सब क्लॉज़ (२) में क्लेक्टर शब्द यूज किया गया : "Small strips of lands adjoining existing buildings shall, with the previous sanction of the Collector, be given at the rates fixed under sub-sections (1) and (2) of section 106; and"

उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी मकान के कोई जमीन का टुकड़ा लगा हुआ है, या उसका उससे सम्बन्ध है और उसके सम्बन्ध में कोई ऑक्शन की कार्यवाही की जाती है तो इसके कोई माने नहीं रखता कि क्लेक्टर ही फैसला करे। मान लीजिये, एक जमीन के टुकड़े के लिये दो आदमी क्लेम करते हैं उन दो आदमियों में आपस में वैमनस्य है; उनमें से एक पैसे वाला है और दूसरा गरीब है। पैसे वाला दूसरे को नुकसान पहुँचाना चाहता है और उसके फैसले के लिए जो प्रीमियम मुकर्रर है उस पर भी सब डिविजनल ऑफीसर फैसला नहीं कर सकेगा और क्लेक्टर करेगा। यह साधारण सी बात है कि किसको मिलना चाहिये। जो प्रीमियम की रेट मुकर्रर है उसके आधार पर फैसला देने का अधिकार सब डिवीजनल ऑफीसर को होना चाहिये। इसलिये सब क्लॉज़ (२) में क्लेक्टर के स्थान पर सब डिवीजनल ऑफीसर कर दिया जाय।

Page No.56

[श्री चांदमल मेहता]

माननीय मन्त्री महोदय यह कृपा करेंगे कि या तो सिरोही से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार कर लेंगे या इसे डेफर-करके दूसरे सदस्यों को कोन्फीडेन्स में लेकर निर्णय करेंगे। इसे भी अगर वे स्वीकार नहीं करें तो वैसी सूरत में मैंने जो रखा है उसे स्वीकार करेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्षजी,......

श्री उपाध्यक्ष—आप क्या दिखाई दे रहे हैं ?

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। दोनों प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास कर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आबादी के सम्बन्ध में तो सब को अच्छी तरह विदित है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दिये हैं। आबादी में मकान बनाने सम्बन्धी कार्य अब तक ग्राम पंचायतें ही अंजाम देती आ रही हैं और जब तक कानून में व्यवस्था है तब तक देती भी रहेंगी। पर लैंड रेवेन्यु बिल में प्रोवीजन होने से आपस में विरोध सा पैदा हो जाता है। आबादी की जमीन का सम्बन्ध ग्राम पंचायतों से है तो फिर कलेक्टर द्वारा इसके अन्दर किस तरह मंजूरी का नियम रखा जाता है? मेरा ऐसा खयाल है कि इस बिल को फ्रेम करते वक्त ग्राम पंचायत का एक्ट हमने पास किया था वह नजर से रह गया है और मैं खयाल करता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय मन्त्री महोदय, इस पर फिर से विचार करेंगे और फिलहाल इस पर विचार स्थगित कर देंगे और सोच कर ठीक तरह से व्यवस्था करेंगे।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है इसको डेफर करने की जरूरत नहीं। जो माननीय सदस्य का खयाल है कि पंचायतों को भी यह पॉवर दी हैं, वह कन्फ्लिक्ट में आती हैं, वह बात नहीं है। बात यह है कि इस क्लॉज़ के द्वारा यह व्यवस्था की है कि आबादी की जो लैंड है वह किसी आदमी को आवश्यकता के माफिक देना। इसके लिये एक तरफ तो हमने किसानों को ऐसी लैंड फ्री ओफ एनी प्रीमियम देने का निश्चय किया है, दूसरी तरफ यह है कि आबादी की लैंड को पंचायतों या म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सरकार की कभी यह मन्शा नहीं है कि जो लैंड वह ट्रान्सफर कर चुकी है उसमें सरकार का या कलेक्टर का किसी प्रकार का दखल हो। जिन कन्डीशन्स पर यह जमीन ट्रान्सफर की गई, उसको पूरा अधिकार होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्लॉज़ १०५ को डेफर कराया गया है। इसकी वजह यह है कि आबादी की लैंड के बारे में पंचायतों के साथ इससे कन्फ्लिक्ट आता था। तो अब इस तरह को क्लॉज़ एड करने की कोशिश करेंगे कि:—

They will have absolute freedom to exercise the powers which by this provision are vested in the sub—Divisional officer, Collector or Tehsi'dar, as the case may be.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इसलिये इन पॉवर्स में, तहसीलदार का या किसी सरकारी ओथोरिटी का दखल रहे इसको मैं पसन्द नहीं करता और न मेरा इन्टेन्शन ही है कि वे दखल करें।

Such an amendment, either in Clause 105 which I have deferred or in any other clause or a separate clause altogether, I am going to bring before the House and I assure the House that it is not our intention to interfere with the rights of local bodies to whom Abadi lands have been transferred.

मगर यह खयाल कर लीजिये कि ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जहां पंचायतें फंक्शन नहीं कर रही हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं हैं, उन केसेज़ में आबादी लैंड एलाट करने का प्रोविजन लैंड रेवेन्यु एक्ट में होना आवश्यक है।

अब रहा सवाल यह कि इस जमीन को बेचने के पॉवर्स क्यों लिये जाते हैं ? जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ भावनाएं मजदूरों और भूमिहीन लोगों के लिये जाहिर कीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लॉज़ १०६ में यह प्रोवाइड किया है कि कलेक्टर को पॉवर दिये हैं कि अलग अलग केसेज़ में अलग अलग जमीनों का उनकी स्थिति के अनुसार प्रीमियम तय करके फैसला करे and different rates may be fixed in different cases in the same town or village.

मगर जहां एक ही जमीन के लिए २ आदमी दरख्वास्त करें कि हम इस जमीन को चाहते हैं तो उसके लिये यही हो सकता है कि उस जमीन को सेल करें पर सेल करने से ऐसा न हो कि गरीब आदमी को मालदार आदमी गांव में जमीन लेने ही नहीं दे, तो इसके लिये हमने प्रोवाइड किया है।

In particular and fit cases, he can refuse to allot the land to the highest bidder.

सब क्लॉज़ (३) में यह प्रोविजन रखा है :

Action under this sub-section shall be regulated by rules made in that behalf.

तो यह चीज नहीं है कि गरीब आदमियों को जमीन नहीं मिलेगी। रूल मेकिंग पॉवर सरकार के पास है, कलेक्टर को डिस्क्रिशन दे रहे है कि :

"These and on other grounds on which the Collector will refuse."

दोनों एक जमीन को मांगे तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता कि आक्शन किया जाय। इसके लिये कलेक्टर को पॉवर दिये हैं, रूल मेकिंग पावर सरकार को दिये हैं। जिस

[श्री दामोदरलाल व्यास]

चक्क रूल बनेंगे तो, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं रखी हैं कि गरीबों को जमीनें नहीं मिलेंगी तो इसको ध्यान में रखा जायगा। कलेक्टर को पॉवर देने का मतलब ही यही है कि मालदार आदमी गरीबों को जमीनें नहीं लेने दें तो इसको रिफ्यूज करने के लिये ही कलेक्टर को यह अधिकार दिया है।

जहां तक ओक्शन का प्रोविजन रखा है वह जरूरी है। दो गरीब आदमी भी उसी एक जमीन पर क्लेम कर सकते हैं, एक मालदार और एक गरीब आदमी भी उस पर एक साथ क्लेम कर सकते हैं और दो मालदार आदमी भी एक साथ उस जमीन पर क्लेम कर सकते हैं। तो एक गरीब और एक मालदार में ही झगड़ा होगा यह नहीं, दो गरीबों में भी झगड़ा हो सकता है और दो मालदारों में भी।

तो जहां तक लोकल बोडीज़ का सवाल है, उनको जो आबादी लैंड्स ट्रांस्फर कर दी गई हैं उनमें इन्टरफियरेंस करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

तो मैं समझता हूँ कि इस आश्वासन के बाद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इसके अन्दर इन्टरफिअरेन्स करने का सरकार का कोई इन्टेन्शन नहीं है। A similar amendment in this Chapter, either in Section 105 or in a separate section will be brought as I promised to the House just now. In these circumstances the clause as it is may be passed.

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मुझे अर्ज करनी है जिसका उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, एक बात का उत्तर देना भूल गया। हमारे चांदमलजी का एक एमेन्डमेंट है, वह एस. डी. ओ. को अधिकार देने के सम्बन्ध में। मैंने अभी जो दलीलें दी हैं जिसमें यह बतालाया है कि हाइएस्ट बिडर को परमिशन नहीं दी जावे इसके लिये तय करने के सम्बन्ध में कलेक्टर एक उचित अधिकारी होगा क्योंकि वह असूलों पर यह डिसाइड करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कलेक्टर भी एस. डी. ओ. तहसीलदार से ही तो पूछेगा कि यह ठीक है या नहीं है। आपका भी यही मकसद है कि उसकी राय से फैसला होना चाहिये। इसके अलावा आप खुद इस बात को मानते हैं कि कलेक्टर खुद उनकी राय से काम करेगा और उनसे राय मांगेगा तो फिर यह देखना और तय करने के अधिकार की हाइएस्ट बिडर को जमीन दी जावे या कम वाले को जमीन दी जावे यह पॉवर्स कलेक्टर के पास ही रहें तो क्या हर्ज है। इसके अलावा इसी तरह से जो एडजोइनिंग लेन्ड है अगर वह किसी को देनी है और कोई उसके लिये दावा करता है तो that power may be vested in the Sub-Divisional officer according to sub-clause (2) of the proviso. I am prepared to accept that amendment.

Page No.59

[श्री दामोदरलाल व्यास]

बजाय कलेक्टर के एस. डी. ओ. may be invested with that power. But so far as (i) is concerned, I think the power should continue to vest with the Collector.

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री ने जो जबाब दिया है, मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि उस जबाब से वे मेरे इस संशोधन का समर्थन करते हैं और जो शब्द अस्वीकार करने के लिये इसके बारे में कहे हैं वे महज विरोधाभाव के ही नजर आते हैं। उन्होंने माना है कि कलेक्टर फैसला करेगा वह एस. डी. ओ. की राय से करेगा। जब एस. डी. ओ. की राय पर ही तय करेगा तो फिर एस. डी. ओ. को इस प्रकार के पोवर्स देने में आपको हिचकिचाहट क्यों हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह नहीं कहा कि वह एस. डी. ओ. की राय पर काम करेगा, मैने यह कहा है कि कलेक्टर के पास उनकी राय होगी। हो सकता है कि वह उसकी राय को माने, मगर यह जरूरी नहीं है कि वह उसकी राय को माने ही। वह मुनासिब समझे तो उनकी राय के विपरीत भी कर सकता है। I never said that the basis will be the opinion of the S-D.O. He may differ with the Sub Divisional Officer in many cases. It is not necessary that the basis of the judgment will be S.D.Os. opinion. राय उनकी उनके सामने होगी, ऐसा मैंने कहा है।

श्री चांदमल मेहता—(जारी) दूसरी बात उन्होंने यह कही कि असूलों के आधार पर इसको तय करेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एस. डी. ओ. बगैर उसूलों के काम करते हैं। अगर करते हैं तो यह सरकार की कमजोरी है। मैं तो यह मान कर चलता हूँ कि एस. डी. ओ. भी उसूलों के आधार पर ही काम करते हैं। मुझे माननीय मंत्रीजी के उत्तर से कोई खास संतोष नहीं होता है लेकिन क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी स्प्रिट सब क्लॉज २ में दिखाई है कोओपरेशन की, इसलिये आगे भी इसी प्रकार की स्प्रिट दिखावेंगे, यह मान कर मैं अपना सब क्लॉज (१) पर जो संशोधन है उसको वापिस लेने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन सब क्लाज (१) पर वापिस लेता हूँ।

श्री जवानसिंह—चूंकि इस संबन्ध में माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दे दिया गया है इसलिये में भी अपना एमेन्डमेंट वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने सब क्लाज (२) पर क्लेक्टर के बजाय एस. डी. ओ. करने का रखा है, उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लाज़ १०७, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १०७, संशोधित रूप, से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ १०८

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और एक ही कारण बतलाते हुए यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे अधिकार ग्राम पंचायतों को भी दिये हुये हैं। अगर यहां पर भी ये रहेंगे तो दोनों में आपस में एक दूसरे से झगड़ा हमेशा होता रहेगा कि किसको ये अधिकार हैं। इसलिये बहतर यह होगा कि यह क्लाज़ यहां नहीं रखा जावे और ग्राम पंचायत एक्ट में हैं, वहां ही रहने दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—(बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ १०८पर मेरे तीन एमेन्डमेंट्स हैं। एक एमेंडमेंट धारा १०८ में जहां इस प्रकार के अधिकार क्लेक्टर को दिये गये हैं उसके बजाय एस. डी. ओ. को अधिकार देने के सम्बन्ध में है। इस धारा १०८ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो नियम बनावेगी उसके अंतर्गत अमुक अमुक कामों के लिये मुफ्त में जमीने दी जा सकती है। लेकिन इस सम्बन्ध में कौनसी ऐसी ओथोरेटी होगी जो जमीन के बारे में इजाजत दे सकती है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—On a point of order, I want to draw your attention to the fact that the House is not in quorum.

(कोरम नहीं होने के कारण विराम)

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज १०८में कलेक्टर को जो अधिकार दिये गये हैं उस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि सब डिविजनल ऑफिसर को वे अधिकार रहें। मैंने पिछले क्लाजेज़ में अपनी ओर से बराबर यह दलील दी है कि हमें सत्ता का एकीकरण करने के बजाय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये और शायद उसूल के आधार पर इस बात को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन यह उसूल की बात है। चाहे उसूल के आधार पर स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन जहां जमीन मुफ्त देने का ताल्लुक है वे अपने अधिकारों से नहीं दे सकते बल्कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि सब्जेक्ट टू rules यानी उनके बारे में rule होंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाये गये और बाद में वे जमीनें दी जावेंगी। तो मैं मानता हूँ कि चाहे अब तक माननीय राजस्व मंत्रीजी इस विचार के रहे हों कि ऐसे अधिकार क्लेक्टर के पास रहना चाहिये तो वे इस पर फिर से जरा सोचेंगे कि यह जो हम अधिकार दे देते हैं वे अधिकार उचित नहीं, एक ब्लेन्क चेक पर दस्तखत कर देते हैं और ब्लेन्क चैक पर दस्तखत करने का परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति के आधार पर वे जमीनें दी जावेंगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि क्लेक्टर के स्थान पर सब डिविजन ऑफिसर को ये अधिकार दे दिये जांय; इस प्रकार की जमीनें अलाट करने का कि खाद डालने के लिये जमीन चाहिये, बैल बांधने के लिये जमीन चाहिये और इस प्रकार के कामों के लिये अगर आप उनको क्लेक्टर के पास पहूँचावेंगे तो बडा वक्त लगेगा और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जमीन लेने की दरकार होगी तो उस जमीन के जितना तो उसको मुआवजा चुकाना पड़ेगा, ओफिसों में दौड़ धूप करके। तो इस तरह के अधिकार क्लेक्टर को देने के माने तो यह हैं कि मुफ्त में जमीन देने के रास्ते को एक प्रकार से बन्द करना है, प्रोविजन तो इस प्रकार का कर लेते हैं लेकिन सही माने में देते नहीं हैं।

टिनेन्सी एक्ट पास किया था तो उस वक्त यह भावना व्यक्त की गई थी कि अमुक अमुक काम के लिए मुफ्त जमीन मिलेगी; जैसे टांके के लिए जमीन मुफ्त देने की बात हुई थी, बैलो को बांधने के लिये जमीन देने की बात हुई थी, खाद डालने के लिये जमीन देने की बात हुई थी, अनाज-संग्रह के लिए बात हुई थी। तो यहां भी उन्हीं चीजों की बात आती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के अधिकार कलेक्टर के बजाय सब डिविजनल ओफीसर को दे दिये जांय।

[श्री हिम्मतसिंह]

तीसरा मेरा जो अमेन्डमेंट है उसके दो हिस्से हैं । उसमें मैंने प्रोविजों के पार्ट फर्स्ट और सेकिन्ड को डिलीट करने के बारे में कहा है । फर्स्ट पार्ट के लिए मैं जोर नहीं दूंगा । मैं प्रोविजों के सेकिन्ड पार्ट को डिलिट करने का संशोधन प्रस्तुत करता हूँ । प्रोविजो का जो सेकिन्ड पार्ट है वह तरह से है :

"The collector shall have the right to resume any such land without paying any compensation."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को देख करके मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को हम ब्लेन्क चेक दे देते हैं कि तुम्हारी मर्जी हो जो उस पर लिख लो । कलेक्टर किन सूरतों में जमीन ले सकता है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है । जहां जब उनकी इच्छा हो उस वक्त कह दे कि जमीन लेना चाहते हैं और जमीन वापिस लेने की क्या स्थिति हो सकती है और जमीन वापिस देने के सम्बन्ध में उस किसान की क्या स्थिति हो सकती है ? उसके लिए उन कामों को देखें कि जिन कामों के लिए जमीन फ्री चार्ज उस किसान को देने की व्यवस्था की गई है । मवेशी बांधने के लिये, अनाज को स्टोर करने के लिए, खाद डालने के लिए उनको जमीन चाहिये और ऐसे कामों के लिए उसको फ्री चार्ज जमीन दी हुई है और जब उसको इन कामों के लिए जमीन दी हुई हो उस हालत में भी कलेक्टर को अधिकार दे दें कि बगैर कोई कारण बताये और बगैर कम्पेन्सेशन दिये वह इस प्रकार की जमीनों को वापिस ले ले । आगे एक सब क्लॉज़ आया है, उसमें व्यवस्था की गई है कि किन सूरतों में जमीन वापिस ली जा सकती है । उसमें लिखा है कि अगर कोई किसान गांव छोड़ कर चला जाय तो तहसीलदार को अधिकार है कि वह उसकी जमीन वापिस ले ले । वह तो पर्याप्त है । लेकिन इसमें जो प्रोविजन है उसमें कलेक्टर को बगैर कारण बताये उस किसान की जमीन वापिस लेने के जो अधिकार दिये गये हैं मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को ब्लेन्क चेक दे देना है और ब्लेन्क चेक देना कितना खतरनाक होता है, इसको स्वयम् माननीय मंत्रीजी भी इन्कार नहीं करेंगे ।

तीसरा मेरा संशोधन इस सब क्लाज़ (२) में अन्तिम शब्द डिलीट करने के बारे में है । वह यह है : "or contravenes any of the provisions of this Act or rules made thereunder."

इस सब क्लॉज़ (२) में हम रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार से निचे रेन्क का न हो उसको यह अधिकार देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांव छोड़ कर चला जाय तो उसकी जमीन वापिस ली जा सकती है । यह यहां तक तो ठीक है । लेकिन आगे जमीन लेने के बारे में दूसरी बातें दी हुई हैं : "or contravenes any of the provisions of this Act or rules made thereunder." यानी अगर कोई व्यक्ति इस बिल की किसी क्लॉज़ को नहीं मानता है, तोड़ता है तो उस सूरत में भी वह जमीन वापिस ली जा सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी क्लॉज़ की अवहेलना

[श्री हिम्मतसिंह]

करने पर क्या सजा दी जा सकती है उसका इस बिल में प्रोविजन है । ऐसा कोई क्लॉज़ नहीं है कि जिस क्लॉज़ पर उनको अवहेलना करने पर सजा न दी जा सके । तो केवल यह कह देने मात्र से कि किसी क्लॉज़ की अवहेलना की है, या किसी नियम की अवहेलना करने पर उनकी जमीन वापिस ले ली जायगी, यह उचित नहीं है । इसका नतीजा बड़ा दुखद होगा, साधारणतया किसानों को बड़ी भारी दिक्कत उठानी पड़ेगी, इससे भ्रष्टाचार के फैलने को भी बल मिलेगा, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायगा और राज्य कर्मचारियों की पांचों अंगुलियां घी में हो जायगी, वे कहेंगे कि तुमने फलां क्लॉज़ की अवहेलना कर दी इसलिए तुम्हारी जमीन तुमसे वापिस ली जाती है । इस प्रकार की क्लॉज़ रखने से बड़ी परेशानी होगी उन लोगों को जिनकी कि जमीन वापिस ली जायगी । अतः मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं, इस आशा के साथ कि जिस तरह माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एक बार स्प्रिट दिखायी थी मेरे संशोधन को स्वीकार करने के बारे में इस बार भी ये इससे पीछे हटने वाले नहीं होंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनिट पहले क्लॉज़ १०७ पर बहस हो रही थी, उस वक्त माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह फरमाया कि ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को बड़े आदमियों के मुकाबले में होड के रूप में जमीन मिलना मुश्किल है, दुश्वार है उनके लिए क्लॉज़ १०८ में जमीन अलॉट करने की व्यवस्था की है । लेकिन क्लॉज़ १०८ को देखें तो वहां जमीन का अलाटमेंट तो केवल स्पेसिफिक पर्पज़ेज़ के लिये है, आबादी में रहने के लिए ऐसे लोगों को जमीन देने का कोई प्रोवीजन नहीं है ।

"Subject to rules made by the State Government in this behalf the collector may grant in villages free of premium or rent land of such dimensions as may be prescribed to serve as receptacles for the honsehold refuse, stable litter and cattle dropping and other rubbish and manure, and for storing fodder for cattle;"

तो जितने अमेंन्डमेन्ट्स की व्यवस्था का उल्लेख है उसका भी सम्बन्ध होता है । केवल उसके लिये जमीन के अलॉटमेन्ट का उल्लेख है । जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था आवश्यकता पड़ी तो संशोधन इस चीज़ को एन्श्योर करेंगे । गांव के उस तबके के लोगों को इसेन्शियल परपज़ के लिये जमीन देंगे या नहीं ? एग्रीकल्चर परपज़ के लिए क्लॉज़ १११ है.... "receptacles, store, fodder, rubbish or manure" सब का सम्बन्ध क्लॉज़ ११८ से है । तो मैं यह पूछना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय......

श्री गोपीलाल यादव—१०५ देखिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१०५ में है, उसको टाल दिया है । वह तो डेफर किया हुआ है । ठीक तरह से देखा जाय तो १०५ में अधिकार देने के बजाय......

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई अमेन्डमेन्ट आपने पेश किया है ? or he is only...?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज़ १०७ पर आश्वासन देकर उसको मंजूर करा लिया तो उसी प्रकार का प्रोविजन, संशोधन या तो क्लॉज़ १०८ में रखा जाय अथवा १०७ को वापिस रिओपन किया जाय । मैं उसका विरोध करूंगा ।

अभी जो मैं कह रहा हूँ वह इसलिये कि अभी अभी माननीय राजस्व मंत्री ने आश्वासन देकर इस चीज को मन्जूर कर लिया था अगर वे इस आश्वासन के अनुसार इसमें संशोधन नहीं करते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि धारा १०८ है वह मौजूदा सूरत में नाकाम हो जायगी । अभी अभी माननीय राजस्व मंत्री ने १५ मिनिट पहले यह आश्वासन दिया था......

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जो कुछ भी कहा उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और न उन्होंने मेरे आश्वासन को सुना है और न समझा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने समझा है, मैंने सुना था या नहीं यह जुदा प्रश्न है । मैंने यह सुना और कमिटी रूम के कोने में खड़े खड़े सुना और जहां तक समझने का सवाल है इसका फैसला तो दुनिया करेगी या हाउस करेगा । ऐसा भी होता है जैसा कि उन्हीं के पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य का कथन है कि माननीय मंत्री कभी कभी इन्स्पायरेशन में आने के बाद सिफारिश को मानते हैं ।

एक माननीय सदस्य—उनका कोन्टेक्ट आपसे ज्यादा होता है, इसलिये वे ऐसा कहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—किशनगढ़ हमारे पड़ौस में है, हालांकि वे परबतसर से चुन कर आये हैं; लेकिन मैं तो उनको किशनगढ़ का ही मानता हूँ ।

मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, यदि गरीब लोगों को एग्रीकल्चर लेन्ड के साथ साथ अगर रेज़ीडेन्शियल परपज़ के लिए भूमि देने की व्यवस्था कर दी जाती है तो सारा का सारा मामला हल हो जायगा । इसलिये यह जो तरमीम है उस पर विचार करेंगें । ऐसी लेन्ड रिज्यूम करने के बाद अनकन्डीशनल राइट दे देने कलेक्टर को कि वह चाहे जब ऐसी जमीन ले सकता हैं, जिसको फोडर के स्टोर करने के लिए या ग्रेन के स्टोर करने के लिए जमीन दे दी गई हो कलेक्टर इस पावर के अनुसार चाहे जब उनसे छीन सकता है तो फिर आखिर वह क्या करेगा ? आपको उसे आलटरनेटिव जमीन देनी होगी, यदि इस प्रकार करते हैं तो यह तो इस संशोधन के पक्ष में दलील हुई । तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप को शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था कि जिन लोगों के पास रेजीडेन्शियल परपज के लिए लेन्ड नहीं है उनको दी जायगी और जो माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था वह भी इसी प्रकार का था उस आश्वासन पर अमल करने की दृष्टि से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह अवश्यक है कि उन लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था की जाय। पहले ही हमने इस आश्वासन पर एक क्लॉज़ को पास कर दिया......

एक माननीय सदस्य—ऐसा कोई आश्वासन नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बराबर आश्वासन दिया गया है। अगर गरीब आदमी को रेजीडेन्शियल पर्पज़ के लिए जमीन नहीं होगी तो दी जायगी। इस प्रकार के शब्द आपके थे। आपने कहा कि हमारी निश्चित यह राय है कि गरीब लोगों की जिनके पास रेजीडेन्शियल पर्पज़ के लिये लेन्ड नहीं है उनको प्रोटेक्शन दिया जायगा और हाइएस्ट बिड भी किसी की होगी उसको रिफ्यूज़ कर दिया जायगा और इसी लिए अन स्टेबल अलोटमेंट के लिये पॉवर्स कलेक्टर को दिये हैं। यह मेरा चेलेन्ज है, आप प्रोसीडिंग्ज उठाकर देखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—I never said that any free land will be given to anybody.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The hon'ble friend did say that we are going to provide land. I want to know under what section whether free or otherwise, land could be provided. My challenge is, to point out that. Either you are forgetful or you do not understand the implications of your actions.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो आश्वासन माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वह प्रोसीडिंग्ज़ में मौजूद है। आप उसको दिखवा लीजिये। अगर उसमें नहीं होगा तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा। अगर उसमें है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि कोई न कोई प्रोवीजन आपको इसमें करना पड़ेगा और वह प्रोवीजन धारा १०८ में हो तो ज्यादा उचित होगा। इसलिये गुस्सा करने से तो मेरे पर रोब पड़ने वाला नहीं, मैं तो होम मिनिस्टर के गुस्से की भी परवा नहीं करता; आपके गुस्से से तो मेरे पर क्या असर पड़ने वाला है; मुस्करा कर आप इस पर विचार करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०८ जो पास होने के लिये प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर "Land granted for receptacles of household refuse, etc. and for storing fodder."

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इसके पास करने से क्या क्या कठिनाई पैदा होने वाली है। यह तो माननीय मंत्री महोदय को अच्छी तरह से ज्ञान है कि इस किस्म की जमीन जिसमें खाद रह सके, खलिहान कर सकें आदि २ के लिये हर काश्तकार के पास रहती है और वे इस प्रकार का यूज़ हमेशा से करते चले आ रहे हैं। आज तक उससे इस प्रकार के यूज़

[श्री हिम्मतसिंह]

के लिये दी हुई जमीन का टेक्स नहीं लिया जाता है। इस क्लॉज़ के पास होने से क्या नतीजा होगा कि तहसीलदार लोग उन काश्तकारों को जाकर पकड़ेंगे और हर आदमी, गांव का हर व्यक्ति जिसने इस काम के लिये जमीन को ले रखा है उसके लिये एक दरख्वास्त करेगा; उसके लिये तहसीलदार को मिसल खोलनी पड़ेगी ताकि कलेक्टर उसे फ्री ऑफ रेन्ट का हुक्म दे। इस प्रकार की कार्यवाही से काम कितना बढ़ेगा और उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ भूतपूर्व कोटा रियासत में ऐसी जमीन के लिये एक ऐसा नियम था जो बहुत सरल था कि किस तरह की जमीन पर काश्तकार का हक नहीं माना जायेगा। सिर्फ इतना दर्ज करना था कि ऐसी जमीन जिनके ऊपर काश्तकारों का उपभोग होता है उनकी मिल्कियत नहीं मानी जावेगी। इतने से तमाम काम चल जाता था। यहां तो हमें ऐसा दर्ज करना होगा, इनको रेन्ट फ्री दी जावेगी, इनको बकसीस की जावेगी। बकसीस करने के लिये उनको पट्टे देने पड़ेंगे। मिसलें खोलनी पड़ेंगी। बगैर इतना किये कौन यह मानेगा कि उनको कोस्ट फ्री जमीन दी गई है ? इस प्रकार के काम के लिये महकमा है उसका बहुत विस्तार हो जायगा, इससे काम को मीट करने के लिये बड़ी मुश्किलाते पैदा हो जायंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायतें जिस क्षेत्र में काम कर रही है वहां ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जा सकते हैं। ग्राम पंचायतें चाहे तो खलिहान आदि के लिये मुफ्त में जमीन दे सकती है जैसा कि अभी तक देते चले आ रहे हैं। ग्राम पंचायतें ऐसी जमीन पर किसी प्रकार का टेक्स या लगान वसूल नहीं करते। जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया कि वे ग्राम पंचायतों के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते; तो यह क्लॉज़ भी मैं समझता हूं उससे कवर हो जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक ग्राम पंचायतों के अधिकारों का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने पहले क्लॉज़ के समय अर्ज किया था, एक सेक्शन १०५ नया एड करने के लिये कहा था। जहां तक लोकल बोडीज़ के अधिकारों का सम्बन्ध है उनको जमीन दे दी गई है। उनके राइटस में हम इस कानून द्वारा किसी प्रकार का इन्टरफीअरेन्स नहीं करना चाहते। जो पॉवर्स रेवेन्यू अधिकारियों की है इस एक्ट में वे अधिकार उन्हीं में वेस्ट किये जावेंगे। जहां तक पंचायतों को यह हक है उसमें इससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में वादा भी कर दिया है कि एप्रोप्रीएट जगह पर मैं इस प्रकार के क्लॉज़ को इन्सर्ट करने के लिये तैयार हूं। यहां केवल यह प्रश्न है कि एस. डी. एम. को जो पॉवर्स हैं वे कलेक्टर्स को नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि धारा १०८ के अन्दर क्लॉज़ ए में जहां कलेक्टर है उसके बजाय एस. डी. एम. बन जाय, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं और इसी क्लॉज़ के भाग बी में कलेक्टर होना बहुत आवश्यक है। वह चाहे जिस वक्त जमीन को रिज्यूम कर सकता है। जहां तक सब क्लॉज़ (२) के (सी) के अन्दर जहां यह प्रोवाइड कर रखा है कि किन किन कारणों से तहसीलदार जमीन वापिस ले सकता है, अगर कोई ब्रीच ऑफ कन्डीशन को अथवा गांव छोड़ करके चला जाय; इसके अलावा अगर स्पेशल सरकमस्टान्सेज में हो जिसमें कलेक्टर यह महसूस करें कि आबादी के बढ़ाने के लिये या और किसी खास जरूरत के

[श्री दामोदरलाल व्यास]

लिये इस आबादी में जमीन की आवश्यकता है तो यह पॉवर्स कलेक्टर्स को दिये जायं, वह जमीन रिज्यूम कर सकता है और उसके लिये कम्पेनसेशन नहीं देंगे। यह पॉवर्स कलेक्टर के पास रहना आवश्यक है क्योंकि यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस प्रकार की जमीन को रेन्ट फ्री देकर वापिस रिज्यूम करने अधिकार कलेक्टर के पास ही होने आवश्यक है। इस प्रकार के अधिकार जिम्मेवार आफिसरों के पास होने जरूरी हैं। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि यह तो ब्लेंक चेक दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार का ब्लेक चेक देना ही आवश्यक है तो यह कलेक्टर को ही अधिकार होने चाहिये कि यह महसूस करे आबादी की जमीन जो इस काम के लिये दी गई है उनको वापिस दे दी जावे। आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। आबादी के लिये अगर कोई जमीन बाकी नहीं रही तो ऐसी सूरत में अगर कलेक्टर यह महसूस करता है कि जो जमीन दे दी गई है वह ज्यादा दे दी गई है उसमें से कुछ हिस्सा आबादी के लिये लिया जाना जरूरी है इतना जिम्मेदारी का काम कलेक्टर के पास रहना चाहिये। माननीय सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे और अपने संशोधन पर वे ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो एमेंडमेंट है "Contravenig...........

श्री गोपीलाल यादव—लास्ट फ्रेज़ेज़ है "or contravenes any of the provesions of this Act or the rules made there under." इतना डिलीट कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। बहरहाल किसी खास काम के लिए किसी को जमीन दी जाय, रेन्ट फ्री या और किसी कन्डीशन पर दी जाय और वह उन रूल्स का पालन नहीं करे, कन्डीशन्स का पालन नहीं करे तो उससे जमीन भी वापिस नहीं करा सकते और उसको सजा भी नहीं दे सकते, यह किस तरह की बात है। इसलिए यह प्रोविजन रहना बहुत जरूरी है। इस बात का विचार करने के लिए कि जमीन जिस बात के लिए दी जाती है उसी काम में लायी जाती है, वह जमीन जिन शर्तों पर दी गई है उन शर्तों का पालन कराना है तो इस प्रकार का प्रोवीजन होना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि क्या कारण है कि इस प्रोवीजन को नहीं रखने का सुझाव देते हैं। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि जिस बात के लिए जमीन दी जाय वह उसका इस्तेमाल उस काय में करें या न करें, जिन शर्तों पर दी जाय उन शर्तों का पालन करे या नहीं करे तो उसको सजा देने का या जमीन वापिस लेने का अधिकार सरकार के पास नहीं रहना चाहिए। यह बहुत जरूरी प्रोवीजन है और मैं इस एमेंडमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये थे। प्रथम संशोधन माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार कर लिया इसके लिये उनको धन्यवाद।

दूसरे संशोधन के संबंध में जो जवाब दिया गया है माननीय राजस्व मंत्री महोदय की ओर से मुझे उससे थोड़ा सन्तोष नहीं होता है, और मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। कलेक्टर को ब्लेन्क चेक देने के बजाय "subject to rules" ऐसा इसमें अगर कर दिया जाय तो फिर

[श्री चांदमल मेहता]

कलेक्टर के पास ब्लेन्क चेक नहीं रहेगा, और सरकार अपनी ओर से कुछ रूल्स बना दे उसके अन्तर्गत........

श्री दामोदरलाल व्यास—एक मिनट में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं कि सब क्लॉज़ (१) जो है उसमें लिखा है—"Subject to rules made by the State Government in this behalf......

जो गवर्नमेंट रूल्स बनायेगी जमीन देने के, तो रिज़म्पशन के भी रूल्स लाजमी बनायेगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती है। हरेक क्लॉज के लिए लिखना "Subject to rules" it is not necessary to insert these words in every clause when we have once made such a provision- i.e. 108 (1) "Sudject to rules made by the State Government in this behalf..."

श्रीचांदलल मेहता—यदि जो बात माननीय मंत्रीजी ने अभी कही है वह सही है तो मैं इस संशोधन को वापिस लेने की सदन की अनुमति चाहता हूं।

जहां तक संशोधन नं० २ का जवाब माननीय राजस्व मंत्री ने दिया है मैं सोचता हूं उसके बाबत कि मैं जो कुछ निवेदन कर रहा था उसका जवाब न देकर उन्होंने शायद कुछ दूसरा जवाब दिया है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने अपनी ओर से जवाब देते हुए यह बतलाया है कि जिस काम के लिए जमीन दी गई है अगर वह उस काम के लिए उपयोग में न लाये तो उसे वापिस लेने का अधिकार होना चाहिए। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं, लेकिन वे थोड़ा उन शब्दों को देख लें कि जिन शब्दों को मैंने डिलीट करने के बारे में कहा है, और उनका इन्टरप्रिटेशन्, क्या जो कुछ उन्होंने कहा है वही होता है या और कुछ भी होता है। मैं थोड़ा उन शब्दों को दोहरा देना चाहता हूं जिन शब्दों को डिलीट कर देने के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं :

"or contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder."

किसी कार्य के लिए जमीन दी गई है उसको दूसरे काम में लेने के निमित अगर वह जमीन वापस ली जाय तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन जो कुछ कहा गया है वह यह कहा गया है कि इस एक्ट की किसी धारा (खंड) की वह अवहेलना करे तो उस हालत में भी वह जमीन वापिस ली जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे बहुत सी धाराएं आ रही हैं तो इन बहुत सारी धाराओं की, मिसाल के तौर पर बता दूं कि अगर एक आदमी अपनी जमीन को ट्रान्सफर करता है तो उसकी उसको इत्तिला करनी चाहिए, एक जमीन का दूसरा उत्तराधिकारी बनता है तो उसकी इत्तिला उसको करनी चाहिए, आदि बहुत सी धाराएं (खंड) हैं कि क्या क्या काम किये जाने चाहिएं, और ऐसी सारी बातों के लिए अगर इस तरह का कानून में प्रोवीजन देकर

[श्री चांदमल मेहता]

यह जो आवश्यक काम के लिए जमीन दी जाती है उसे छीनने का अगर इसमें प्रोवीजन कर दिया गया तो इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए जहां जहां जमीन देने की बात है वह बहुत जरूरी मामला है। खाद के लिए, बैलों के लिए, अनाज के लिए; यह ऐसे काम हैं जिनके बगैर किसान का काम चल नहीं सकता और इस एक्ट की किसी धारा (खंड), इस एक्ट की किसी रूल्स में इसकी विस्तृत बात दे दी है कि जिसकी अवहेलना की स्थिति में अगर इस तरह की बात की गई तो मेरे खयाल से नतीजा यह होगा, और जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा अगर वही विचार है तो उस रूप में यह एमेंडमेंट कर दिया जाय। लेकिन जिस रूप में अगर यह है तो मैं यह मानता हूं कि वह किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक मर्तबा फिर से मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से दुबारा विचार करने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री श्यामलाल गोयल—'एक्ट' के बजाय 'सेक्शन' कर दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—ठीक है, कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह सबसेक्शन (२) जो है उसके अन्दर लास्ट लाइन में आपका तो सारा डिलीट करने का एमेंडमेंट है। मैं उसे इस तरह से प्रोपोज़ करूंगा:—

..."or contravenes auy of the provisions of this section"...

श्री चांदमल मेहता—क्या हुआ साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह ठीक है। असल में मैं अर्ज़ कर दूं कि मकसद इस प्रोवीजन को रखने का यही है कि जो इस तरह के एलोटमेंट के रूल्स हों, उनकी जो कन्डीशन्स हों, उनका कोई कॉन्ट्रावीन करता है तो जमीन वापिस ले ली जायगी। 'एक्ट' जो लिखा हुआ है उससे वह वोइड हो जायगा and it is open to interpretation. we don't want कि किसी का भी कोई ब्रीच हुआ तो जमीन ले ली। सिर्फ यह चाहते हैं कि जहां तक इसका सम्बन्ध है इस सेक्शन से है, इस प्रोविजन से है, एन्ड दी रूल्स मेड देअर अन्डर से है। उसको कोइ ब्रीच करेगा तो the land will be liable to be resumed.

मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा है इस एमेंडमेंट के लिए।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने दुबारा कष्ट करके कुछ क्लॉज़ेज़ देखे, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा, और मंत्री महोदय ने जिस रूप में मेरे संशोधन को स्वीकार किया है उन शब्दों के अलावा जो उन्होंने स्वीकार कर लिये हैं, बाकी को वापिस लेने की सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री जवान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन पेश हुआ है उसमें जरा शब्दों में हेर-फेर से मतलब कुछ और निकलेगा कि बीच में से 'दिस एक्ट' शब्दों को अगर बाहर करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजस्व मंत्री से) जो संशोधन जिस फॉर्म में रखा है उसे लिखकर दे दें।

श्री गोपीलाल यादव— "Act" के बजाय "Section" कर दिया जाय।

श्री जवान सिंह— "Section" हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—The amendment will be for the word 'Act', the word 'Section' shall be inserted.

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I don't want to press my amendment, मैं उसको वापिस देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री जवानसिंह—I withdraw may amendment.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उनमें से वह अब....

श्री चांदमल मेहता—एक तो स्वीकार कर लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—वह एमेंडमेंट फॉर्म बतलाएं। पहला कलेक्टर का है।

श्री चांदमल मेहता—वह आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नं० १ का तो 'कलेक्टर' के बजाय 'सब डिवीजनल ऑफिसर' का है।

श्री उपाध्यक्ष—यह 'कलेक्टर' नीचे के प्रोविजो में रहेगा......

श्री चांदमल मेहता—उसके बारे में एमेंडमेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—'कलेक्टर' सिर्फ (१) में हूँ, वहां 'कलेक्टर' के बजाय 'सब डिवीजनल ऑफिसर' किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—जी हां। इसकी स्वीकृति ले लीजिये।

सब क्लॉज़ (२) में संशोधन है 'एक्ट' की जगह..."Section"

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किये उनमें से अब इस क्रम में एक रहा। पहला सब्स्टीट्यूट का है। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने पहला "substitute the word 'Sub-Divisional Officer' for the word 'Collector' in sub-clause (1)." प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री चांदमल मेहता—बाकी के विदड्रॉ करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपने शेष संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे संशोधन २ और ३ वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 'एक्ट' के बजाय 'सेक्शन' वर्ड सब्स्टीट्यूट किया जाय।

(स्वीकृत)

लफ्ज़ 'एक्ट' के बजाय 'सेक्शन' सब्स्टीट्यूट करने की स्वीकृति दी गई।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०९, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—चूंकि एक नया क्लॉज़ बनने वाला है इसलिये मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री त्रिवेणी श्याम।

श्री त्रिवेणी श्याम—क्लॉज़ १०९ में after the word 'maintenance' the word 'demolition' be inserted.

यह क्लॉज़ फिर इस प्रकार हो जायगा :

"Clause 109:—The State Government, may by rules made under this Act, regulate the construction, maintenance.demolition, repairs and extension of houses and other buildings in such villages or towns for which no local authority has been established."

तो बहुत सी जगह ऐसा भी हो सकता है कि जहां तुड़वाने की जरूरत पेश आ सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है इसलिये डिमोलिशन का वर्ड भी जरूरी है। इसलिये यह एड हो जाना चाहिए, इसमें कोई अहमियत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अमेंडमेंट स्वीकार करता हूँ। यह एक बहुत ही इन्नोसेंट अमेंडमेंट है और आवश्यक भी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०९ पर, जो श्री त्रिवेणी श्याम ने संशोधन प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.73

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०९, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ११०, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १११, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज पर मेरे ३ अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन मैं अपना एक ही अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूँ, जो यह है : "Delete part (iii) of sub-clause (4) of clause 111.

सब क्लॉज़ (४) का (iii) इस प्रकार है :

"to the highest bidder at a public auction; provided that the area so taken together with the area held by him does not exced the area prescribed by the said rules."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १११ में व्यवस्था दी गई है :

"Allotment of land for agricultural purposes."

[श्री चांदमल मेहता]

और इस सम्बन्ध में किस तरह से जमीन का अलोटमेंट किया जायगा, इस सम्बन्ध में इसमें क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (१) में यह व्यवस्था की गई है, पहली व्यवस्था यह की गई है कि जमीनें शेयरर्स को दी जायं, दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि जिनके पास जमीन नहीं है और अगर है तो प्रेस्क्राइब्ड एरिया से कम है, उन्हें दी जायगी। इस तीसरे हिस्से के मातिक सरकार यह भी अधिकार रखना चाहती है कि जमीनों को ओक्शन भी किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा माननीय राजस्व मंत्री जी का, टिनेन्सी की बहस के ऊपर दिये गये उस समय के राजस्व मंत्री और आज के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये जवाब की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टिनेन्सी में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जमीन का अलोटमेंट करना हो तो किस तरह किया जाय। ओक्शन का जहां तक सवाल है इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। बहस के दौरान में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार की मंशा यह नहीं कि जमीनों के अलोटमेंट नीलाम करके करें, पर उस आश्वासन के खिलाफ आज सब क्लॉज़ ४ का तीसरा हिस्सा है वह हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने इसमें ऐसी व्यवस्था दे दी है कि पहले को शेअरर्स को देंगे और फिर जिसके पास जमीन नहीं है या प्रेस्क्राइब्ड एरिया से कम है उसको देंगे तो कोई वजह नहीं की तीसरी धारा और रखें और सरकार को अधिकार दें कि वह कुछ रूल्स बना दे और जमीन को ओक्शन कर दे। इसके माने यह हैं कि सरकार को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि ये जमीनें उनके लिये नहीं हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, या उन लोगों के लिए नहीं हैं जिनके पास प्रेस्क्राइब्ड एरिया से कम जमीनें हैं बल्कि सरकार रूल्स बना कर उन जमीनों को ओक्शन कर दे और इसके माने यह हुए कि जमीनें उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कि बहुत पैसा है, गरीबों को जमीनें मिल ही नहीं सकतीं। टिनेन्सी में हमने यह उसूल माना है कि जमीनें एग्रीकल्चर परपज के लिए किसी भी अर्थ में ओक्शन नहीं की जायं।

तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर राजस्व मंत्री गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और ओक्शन प्रोविजन इसमें रखा जा रहा है उस सब क्लॉज़ (४) के पार्ट (३) है उसके डिलीट कर देंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरे माननीय मित्र ने संशोधन पेश करते हुए जो बातें कही हैं उनसे तो मैं समझता हूँ कि इस पार्ट (३) को जिस शक्ल में ही रहने दिया जाने से जो खतरा उनको महसूस हो रहा है वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। मैं समझता हूँ कि पार्ट (३) का जो मतलब है, जो मैं समझता हूँ वह बतादूं और एक संशोधन माननीय मंत्री के पास पेश करूंगा अगर वे इसे स्वीकार करेंगे तो।

(4) If there be more than one person requirng the same land, the allotment shall be made in the follwing order;—

(i)..

(ii).."

[श्री गोपीलाल यादव]

उनको दे दिया गया। अब इस (३) की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अब वे यह आवश्यकता महसूस करें कि नं० (१) और (२) के आदमी उस जगह रहें ही नहीं तो फिर इस पार्ट (३) का उपयोग हो सकता है।

अगर (१) और (२) के केटेगरी के आदमी न हों eligible for एलोटमेंट के लिये ······

श्री दामोदरलाल व्यास—in the following order;—

श्री गोपीलाल यादव—in the following order:—
"(i).............................(ii)..
(iii)......................."

तभी इस्तेमाल किया जावे जब दूसरे नहीं हों।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो सेक्शन है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है; It means this because out of those who will bid.

जिनके पास प्रेस्क्राइब्ड एरिया से जमीन कम होगी वह नीलाम में पहले दी जावेगी। जब इस प्रकार के केटेगरीज़ के लोग न रहें और फिर भी जमीन हो और ज्यादा लोग उसके लिये क्लेम करें तो इसके सिवाय कि उसको ऑक्शन किया जावे दूसरा कोई तरीका नहीं रहता when more than one person claims the land then only the land will be put to auction.

जिस प्रकार के लोग होंगे; इसके सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं रह सकता। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है पहले उनको दी जायगी और उसके बाद यदि जमीन वाले लोगों में से २ आदमी चाहे and both have applied for it then of course the third part will come into force.

जब (१) और (२) के लोग वहां न रहे तभी (३) लागू होगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई एतराज नहीं है। इसमें न उस पुरानी पोलीसी के खिलाफ कोई बात जाती है; उसमें यह बात है कि लेन्डलेस टीनेन्ट्स को जमीन दी जावेगी वह अब भी दी जावेगी; इसलिये यह कहना कि जो पहले राजस्व मंत्री ने कहा था उसकी पोलीसी के खिलाफ नहीं जाता है। जब उस टाइप के लोग नहीं हों और दूसरे लोग लेना चाहते हैं तब (३) सब सेक्शन रहता है। मैं यह कहूँगा कि यह बात जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं कि पहले कही गई स्प्रिट के खिलाफ जाता है, कतई नहीं है। It is within that spirit.

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, इस पर माननीय राजस्व मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके लिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने विचारों पर, जो अभी प्रकट किये हैं, दुबारा विचार करें। यह पार्ट (३) इस प्रकार है :

Page No.76

[श्री चांदमल मेहता]

"(iii) to the highest bidder at a public auction; provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules."

इस धारा का मुझे मतलब करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जो कुछ माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है उस पर विचार करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि सब क्लॉज (१) और (२) की केटेगरी के आदमी नहीं होंगे तब यह लागू होगा। इनमें कौन कौन हैं। को-शेअरर्स वहां नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। इसके बाद लेन्डलेस व्यक्ति नहीं मिलेगा और तीसरा यह भी है कि जिसके बारे में यह कहा गया कि जमीन तो है लेकिन प्रेस्क्राइब्ड एरिया से कम है उसको दे सकते हैं। पार्ट (२) में भी यही बात आती है। अब यहां पर यह कहा जाता है कि जमीन उनको देंगे जिनके पास प्रेस्काइब्ड एरिया से जमीन कम है उसको देंगे। इसका मतलब यह है कि पार्ट (२) में कम वालों को देने की बात कहते हैं उसको (३) में कहते हैं। लेकिन जैसा वे कहते हैं वैसा इसका मतलब नहीं निकल सकता है। इसलिये यह कहना पड़ेगा कि जब तक आप साफ यह नहीं कर दें कि लेन्डलेस व्यक्ति नहीं मिलेंगे, कम एरियावाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे तभी यह लागू होगा, तब तक राजस्व मंत्री का मतलब पूरा नहीं होता। मैं फिर एक बार कहूँगा कि वे इस पर विचार करें और अगर आवश्यक हो तो इसमें राय भी ले लें और फिलहाल इसको डेफर कर दिया जावे और बाद में फिर जब इस पर पूरा विचार हो जाए, ले आएं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, दरअसल यह प्रिंटिंग मिस्टेक है और वह यह है "(iii) to the highest bidder at a public auction;" This should be finisbed here. "Provided that..."should be separate altogether. This proviso is meant for all the three parts. This is only a printing mistake. 'Provlded" इसमें शामिल कर दिया गया है।

इसके लिये यह हुआ है।

This is only a printing mistake and it may be Corrected.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह तो बहुत जबरदस्त मिस्टेक है।

श्री उपाध्यक्ष—This is a separat; proviso which applies to all the parts.

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, जो बातें कही गई हैं उन पर फिर थोड़ा सा कहने की मुझे जरूरत हो गई है। अच्छा तो यह होता कि यह पूरा का पूरा क्लॉज़ रीड्राफ्ट होता; जैसा वे कहते हैं कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है।

"Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules."

Page No.77

[श्री चांदमल मेहता]

अगर ऐसा मानते हैं तो मैं यह कहूँगा कि यहां हमने सब क्लॉज़ (४) के दूसरे खंड को पास किया है उसमें भी यह व्यवस्था की है "to Persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said Rules;"

वहां भी हमने यह चीज दी है। इसलिए यह कहना कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उस सारे को ठीक करना होगा। अगर यह मानलें कि इन तीनों के लिये ही एप्लाई होता है तो जो कुछ राजस्वमंत्री ने कहा है उसके यह बिल्कुल प्रतिकूल जावेगा और कोई फर्क नहीं होगा। कम से कम यह प्रोविजो न० ३ पर लगा रहेगा और इसका मतलब यह है कि जो जवाब राजस्वमंत्री ने दिया है उसके माफिक यह नहीं बनता। अच्छा तो यह होता कि इस वक्त हाउस में उत्तर और प्रत्युत्तर दिये जावें इसके बजाय इसको बैठ कर री-ड्राफ्ट कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, अगर आप इजाजत दें तो एक शब्द में भी कह दूं। यह जो चीज है, ऊपर के तीनों में जो चीज दी हुई है :

(ii)........preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescibed by the said Rules;"

श्री उपाध्यक्ष—हर एक में है।

श्री गोपीलाल यादव—हर एक में है। इस प्रोविजो का मतलब दूसरा है और दूसरे का दूसरा। पहला जो है उसका मतलब यह है कि जमीन जिनके पास कम है उनको अलॉट कर दी जाय। लेकिन तीसरे में है वहां अलॉटमेन्ट पर (अश्रव्य) है। अलाटमेन्ट कितना कर सकता है ? मेक्सिमम से अधिक नहीं। जिनके पास जितनी जमीन होनी चाहिये उससे कम है तो अलॉट की जा सकती है, लेकिन इसमें यह नहीं दिया है कि मेक्सिमम है उससे ज्यादा अलॉट कर सकता है। इस चीज को क्लीयर कर देना चाहिये, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाय कि ज्यादा से ज्यादा अलॉट कर दे। आखीर में यह चीज एड करदी गई है कि यह शर्त रख दी जाय कि अलॉटमेंट इतना कर दिया जाय और उससे अधिक न हो। तो इसको क्लीयर करने के लिए यह एड कर दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—I think that is clear, Sir.

श्री चांदमल मेहता—जो प्रिन्टिंग मिस्टेक बतायी गई है उसको ठीक रहने देने की हालत में मैं मेरे संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री चांदमल मेहता—हां।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—सिर्फ प्रिन्टिंग में करेक्शन करने का है जो करना पड़ेगा। यह नोट कर लिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—अच्छा यह हो कि इसके लिये अलग से अमेंडमेंट माननीय मंत्री से ले लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—The proviso in clause 111 (4) (iii) should be separate.

श्री उपाध्यक्ष—माइनर चीज़ है। नोट में ले ली गई। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १११ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ११२, इस पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११२ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया। इसके बाद में एक संशोधन श्री त्रिवेणी श्यामजी का है। चाप्टर ७ में।

श्री त्रिवेणी श्याम—उपाध्यक्ष महोदय, इस चेप्टर में जगह व जगह लफ्ज़ 'लैंड' आया है तो उसको थोडा एक्स्प्लेन करने की जरुरत थी और उसके लिए मैंने एक एक्स्प्लेनटरी एमेंडमेंट पेश किया है जिनके लिये दफा ११२ ए जदीद बना दी जाय। वैसे अमेंडमेंट बहुत साफ़ है कि:

[श्री त्रिवेदी श्याम)

"After clause 112, the followmg new clause may be inserted in Chapter VI:—

'112--A. Land defined for purposes of Chapter VI.—In this Chapter the word 'land' shall also include, unless the Subject or context do not admit of such inclusion,the following categories of land, viz.—

(i) land acquired under the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act No.XXIV of 1953) for the purposes of Government, a local authority or an educated institution while such land remains the property of Government, local authority or educational institution ;

(ii) land surveyed and recorded as belonging to Government or a local authority which is used for any public purpose such as a road, while such land continues to be so used;

(iii) land recorded for the use of the community in the record of rights, such as gochar, cremation ground, grave—yard road or pathway;

(iv) land in possession of Government or a local authority obtained by transfer or otherwise;

(v) land within the abadi area vesting in Government or a local authority."

सो इस लैंड की डेफिनिशन में इन सारी चीजों को और शामिल कर लिया जाय और इसके लिए क्लॉज़ ११२ ए जदीद इजाद कर दी जाय। यह एक्सप्लेनेटरी अमेंडमेंट है। इसमें ज्यादा दिक्कत की चीज नहीं है और इसको इसलिए रखा है कि आयन्दा इन्टरप्रिटेशन के वक्त जगह ब जगह दिक्कतें पेश न आवें। इसलिए यह अमेन्डमेंट एक फोर्मल एमेंडमेंट है।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट तो इसमें, कोई शंका नहीं, जरूरी है और सुन्दर है। लेकिन जो इसको स्थान दिया गया है उससे पता लगता है कि सिर की पगडी पैरों पर बांधी जा रही है। यदि पगड़ी को उसके स्थान पर बांधा जाय तो ठीक रहेगा, इस स्थान पर आने से तो बड़ी भद्दी नजर आयगी और हमारी अक्ल का भी नमूना दुनिया के सामने आवेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—यह स्थान ही ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास—स्थान पर तो कोई बात नहीं है। सिर की पगड़ी पांवों पर नहीं आती है। ७ वां चेप्टर है।

श्री उपाध्यक्ष—फाइनली यह ठीक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पर्टिकुलर चेप्टर में कर दिया जाय।

All that I want is that the word 'land' should by defined, if you want that it should be placed at some other place.

श्री हिम्मतसिंह—यह शुरू में ही आ जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—It relates to this Chapter.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो नया क्लॉज़ ११२ ए श्री त्रिवेणी श्याम ने संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११२, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

सर्वे एन्ड रेकर्ड ओपरेशन यह पहले आजायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय. एक क्लॉज़ में और एड कराना चाहता हूँ, पंचायत और लोकल बॉडीज़ पर। आपकी आज्ञा हो तो मैं पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—हां।

श्री दामोदरलाल व्यास—This will be clause 112-B.

"112-B. Cases in which powers of Revenue Officers may be exercised by local authorities:—When any land in the abadi of a village or town or any land set apart for free pasturage of cattle or for development of abadi or for any other public or municipal purpose has been placed at the disposal of a local authority under sub-section (2) of section 102 or otheewise, the powers exercisable under section 107 or section 108 by a Collector or other Revenue Officer shall be exercised exclusively by the local authority concerned in accordance with rules made by the State Government in this behalf."

तो मैंने जो अमेंडमेंट ११२ बी के लिये प्रस्तुत किया है उसका मकसद यह है कि जिन सरकारी ऑथोरिटी के पास ऐसे पॉवर्स हैं आबादी को लेन्ड आदि के बारे से एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्ट्रोल करने के कलेक्टर्स, रेवेन्यू आफिसर्स इत्यादि के ...Those powers will be exercised by the local authorities concerned.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

यह इसका मतलब है। This is a very simple and innocent amendment. दिस इज वेरी इननो सेन्ट। मैं समझता हूँ उसमें किसी को कुछ एतराज होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इसका नम्बर क्या रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—११२ बी। यह सारा बिल रीनम्बर्ड होगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्लॉज़ १०६ और ११० के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें साफ लिखा है।

"The state Government may, by rules made under this Act, regulate the construction, maintenance, repairs and extension of houses and other buildings in such villages or towns for which no local authority has been established."

इसके लिए कोई सवाल नहीं। लोकल ऑथोरिटीज होंगी वे अपने बाई लॉज़ से डिटर्मिन करते हैं but where there is no local authority, the State Government will make this arrangement.

श्री गोपीलाल यादव—इन्डस्ट्रियल और कोमर्शियल एरियाज़ तो विलेज में है नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—Allotment of land for agricultural purpos-as you know it is within the exclusive jurisdiction of the Revenue authorities and that has not been given to the Village Panchayats.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो नया क्लॉज़ श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) ने प्रस्तुत किया है ११२ बी, वह विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

नया क्लॉज़ ११२ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, अब नया चेप्टर शरू होने वाला है इसलिये अब इसको आगे की बैठक में रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ११३ और ११४ में कोई अमेंडमेंट नहीं है इसको ले लें।

(विराम)

[श्री गोपीलाल यादव]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ११३,११४ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ११३ व ११४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ११५, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—चूंकि अब समय भी हो गया है और यह नया क्लॉज़ है, इसको कल ले लिया जाय ।

श्री हिम्मतसिंह—समय भी हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—कुछ पेपर्स लिस्ट ऑफ बिज़नेस के नोटिस ऑफिस में मौजूद हैं; माननीय सदस्य साथ ले जाने का कष्ट करें ।

सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है । आगामी बैठक दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ के सायंकाल ४ बजे प्रारम्भ होगी ।

[सभा की कार्यवाही १२ बज कर २५ मिनट पर, दिनांक- ३० नवम्बर, १९५५ के ४ बजे सायं तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२५ नवम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।